राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

[illegible]

ई-मेल : [illegible]

विषयः- राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 29/05/2020 को सम्पन्न 324वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

——00——

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.) छत्तीसगढ़ की 324वीं बैठक दिनांक 29/05/2020 को श्री जीतेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. [illegible], सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री [illegible], सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री [illegible], सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. [illegible], सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. [illegible], सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. डॉ. [illegible], सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
7. श्री [illegible], सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

श्री जीतेन्द्र शर्मा द्वारा विधिवत कार्यवाही के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता की गई। समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

एजेण्डा आइटम क्रमांक-1: **324वीं बैठक दिनांक 29/05/2020 बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.) छत्तीसगढ़ की 324वीं बैठक दिनांक 29/05/2020 को सम्पन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा चुका है, जिसे समिति के समक्ष सीधे प्रस्तुत किया जाएगा। उपरोक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आइटम क्रमांक–2. गौण खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / दीर्घकाल हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मैसर्स श्री साकम यादव (श्री कोट(रा) लेण्ड माईन, ग्राम–कोट(रा), तहसील–कसकोल, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा) खुदरा बिहार अपार्टमेंट, दैसाली नगर, भिलाई, जिला–दुर्ग (संचालक का नवीन क्रमांक 1225)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसईआईए / सीजी / एम्बाइंटल / 147080 / 2020, दिनांक 04 / 05 / 2020।

प्रकरण का विवरण – यह प्रकरणित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–कोट(रा), तहसील–कसकोल, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 1 / 1, कुल क्षेत्र रकबा 4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन क्षेत्र नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता –80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(क) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18 / 05 / 2020

समिति द्वारा प्रकरण की नवीन एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्पश्चात **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के तट की लम्बाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान एवं प्रस्तावित क्षेत्र के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, ग्रिडिंग में रेत तल के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में दर्शाते हुए प्रस्तुत किये जावें। इसमें अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (रिवर बेड) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तल के लेवल्स (Levels) का भी दर्शाया जावे। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्माण किये जावें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) से आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उनके अंकित विवरण से प्रस्तावित उत्खनन फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के तट की गहराई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जाने है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना सम्भव न हो तो उसकी गणना कर नक्शे पर दर्शाकर इसका टाइमेन्स माईनिंग प्लान में अलग से बताया जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को सीधे तट खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थान से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र की आवश्यकतानुसार नक्शे पर डिलिट कर, तत्पश्चात सीधे तट सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।

[illegible]

5. [illegible] के लिए प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध पेड़ की गिनती करने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (पिट) खोदकर उसकी पारदर्शिता सुनिश्चित कर, स्थानीय विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। पेड़ की पारदर्शिता सहायता हेतु संलग्नक भी प्रस्तुत किया जाये।

6. यदि कुछ भी आवंटित स्थल पर खनन हेतु शासन तथा पर्यावरण कन्सेन्ट निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण आघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो कृपया ने जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अभिशंसित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। तथा ही प्रस्तावित खदान स्थल स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान कुछ से संबंधित है, तो विभाग वर्षों के लिए गए सम्बन्धित की लाइसेंस नाम की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

9. राशि निर्धारण एवं परिशोधन प्रस्तावों की खदान से रेत के लेवल (Levels) तथा नाले सतीश (Bunwed) की माप कराकर नाप की आवश्यक बैठक से तकनीकी सक्षम सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (प्रावधान फोटोग्राफ्स) सहित अनुमोदन दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परिशोधन प्रस्तावों की एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 229वीं बैठक दिनांक 29/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भरत शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करते एवं निम्न विचारित पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत [illegible] के दिनांक 20/03/2020 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा के द्वारा प्रस्तुत नक्शे अनुसार खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर पाया है।

3. **कार्यान्वयन योजना** – संशोधित स्थल प्रस्तुत किया गया है, जो जल संसाधन एवं प्रदूषण, शिक्षा-विकासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1887/खनि/रेत/उत्खनन योजना/2020 बिलासपुर दिनांक 27/02/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरियाबाजार-भटगांव के ज्ञापन क्रमांक 1588/खनि/सीम-1/2020 कोरियाबाजार, दिनांक 27/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आवेदित ग्राम रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-कोरियाबाजार-भटगांव के द्वारा क्रमांक 1587/खनि/सीम-1/2020 कोरियाबाजार, दिनांक 27/02/2020 द्वारा नदी

प्रमाण एवं अनुसार उक्त खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एयरपोर्ट एवं अन्य अनुसूचित आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निहित नहीं है।

6 **एस.डी.आई. का विवरण** – एस.डी.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 820/खनिज/सीएमएस/ए.ओ./2018 बलौदाबाजार, दिनांक 17/10/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक है।

7 **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8 **महत्वपूर्ण वन्यजन्तुओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बाटा(पा) 0.75 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–बाटा 1 कि.मी. कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय वन्य 5 कि.मी. दूर है। प्रस्तावित रेत खदान की 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एयरपोर्ट स्थित नहीं है।

9 **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में ओलोजीकल सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10 **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी पाट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 268 मीटर, न्यूनतम 248 मीटर तथा खनन स्थल की लम्बाई – 410 मीटर, औसतन चौड़ाई – 33 मीटर बताई गई है। खदान की नदी पाट से न्यूनतम दूरी अधिकतम 38 मीटर एवं न्यूनतम 28 मीटर है।

11 **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर बताई गई है। अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार खदान से माइनेबल रेत की मात्रा – 80,000 घनमीटर है। रेत उपलब्धता हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत स्तर की गहराई आकलन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मौका पर, खनिज विभाग से प्रमाणित आकलनी प्रस्तुत की गई है। इसी अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2.25 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पर्याप्त की प्रस्तुत किया गया है।

12 **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**–

- पूर्व में खसरा, ग्राम पंचायत बोदा(पा) की ग्राम 45 रेत खदान ग्राम क्रमांक 1/1, संरक्षण 4 हेक्टेयर, क्षमता–80,000 घनमीटर क्रीपर्स हेतु जिला स्तर पर्यावरण सम्मेलन विधिक प्राधिकरण, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 04/02/2017 के द्वारा जारी निर्णय के 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

iii. पूर्व में आयी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में भी कई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गत अनुपालन विवरण प्रस्तुत नहीं की गई।

iii. माननीय कलेक्टर (सहित शासन) जिला - बलरामपुर-रामानुजगंज के द्वारा क्रमांक 1883/तीन-ई/29/2020 बलरामपुर दिनांक 13/08/2020 के अनुसार वर्ष 2016-17 में 28.400 मेगावाट, वर्ष 2017-18 में 7.500 मेगावाट एवं वर्ष 2018-19 में शिफर उत्पादन किया गया है।

iv. एम.ई.आई.एल. छत्तीसगढ़ के आदेश दिनांक 14/10/2019 द्वारा सलवत्र ग्राम पंचायत कोट(ए) की यानी पर्यावरणीय स्वीकृति को भी सत्यापन पाठ्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा पत्र आवेदक द्वारा वर्ष 2019-20 में 9.600 मेगावाट उत्पादन किया गया है।

v. निर्धारित मानकानुसार प्रदूषण नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत खनन के संचालन** – यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित खदान का 25 मीटर बफर 25 मीटर के बिच डिस्टर्ब का दिनांक 01/02/2020 को भी खनन के दौरान संचालन Levels लेकर वर्षा सहित किसान से प्रमाणीकरण पत्रांतर कार्यालय सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – मेसर्स सलवत्र पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities in Nearby Government Primary School Village-Kot (Ra)	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Potable Drinking water Facility	0.45
			Running water facility for Toilets	0.42
			Plantation	0.23
			Total	1.60

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि अपने निवेशन के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एवं व्यय में प्रस्तुत किया जाए।

15. मेरे उपस्थित मिनुअल तिथि से एक भलाई तक कार्य समिति द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

10. पर्यावरणीय प्रभावों द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति करती है। अनुमोदित खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र का तार्किक रेत पुनःभरण संबंधी आकलन करने एवं तलस्थली अवक्षेपों का सत्यापन नहीं किया गया है। लोक भरी रोकी गयी है तथा इसमें वर्षाकाल में लगभग 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा निकाय विभाग उपखंड कार्यसम्पति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-धनदूहा) का रकबा 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण खा खदान की-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रारम्भिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,500 नग पौधे – जिस नग आंवला के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बरगद, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. पर्यावरणीय प्रभावों हेतु प्रदान क्षेत्र में अगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) कराया जाए, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) संबंधी सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, सामाजिक पारिस्थितिकी, जीव एवं मृदा जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का केलक्लाईन आकार** –

   i. पर्यावरणीय प्रभावों द्वारा कि खनन के पूर्व माईनिंग लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 500 मीटर तक के नदी सतह के लेवल्स (Levels) की लिए जायेंगे। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 500 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के लेवल्स (Levels) को भी सर्वे किया जायेगा। तत्पश्चात मिले नदी सतह के सभी लेवल्स (Levels) का सर्वे 25 गुणा 25 मीटर के अंतराल (Grid) से किया जाएगा।

   ii. रेत खनन के उपरांत चालनपुर के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह / जून) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 500 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 500 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के लेवल्स (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित किए बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में रेत उत्खनन प्रारम्भ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं किए बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जायेगा।

   iv. रेत खनन के पूर्व निर्धारित किए बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य अगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जायेगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अप्रैल 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा निकाय विभाग उपखंड कार्यसम्पति से भी शासन पत्रांक, सी.ओ.(ई) योजना माईनिंग, शासन प्रस्ताव 1/5, ग्राम-धनदूहा, तहसील-कपासन, जिला-चित्तौड़गढ़-भटापाल, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत

[illegible] अतिरिक्त 1 मीटर की गहराई तक मिट्टी खोदी हुई, कुल 40,000 [illegible] अतिरिक्त का उत्खनन हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक के 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। जिस की खुदाई मशीनों द्वारा (Manually) की जाएगी। जिस क्षेत्र (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित जिस खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से संचित गन्दगी तथा जिस का परिवहन टैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

तथा साथ पर्यावरण, वनमंत्रालय, नियंत्रण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.), उत्तरांचल को तथानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स श्री अमित जैन (डी–1, मजदूरी सेक्स माईन, ग्राम–मजदूरी, तहसील–बजारी, जिला–बजीदामाजार–भाटापारा), मन्नू चौक, टिकरापारा, बिलासपुर, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का पत्रांक क्रमांक 1294)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एम.पी.ई. / सीजी / एमआईएन / 152501 / 2020, दिनांक 04 / 05 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मीन एरिया) है। यह खदान ग्राम–मजदूरी, तहसील–बजारी, जिला–बजीदामाजार–भाटापारा स्थित राजस्व प्रकरण क्रमांक 302, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मशीनों से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवंटित उत्खनन क्षमता–1,20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18 / 05 / 2020

समिति द्वारा प्रकरण की गहनी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचारोपरान्त **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के तल की गहराई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल के अक्षांश तथा देशान्तर में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर मूल 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, क्षेत्रफल में कम गहराई के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड वार ए.टी.आर. का प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी बहाव के लेवल्स (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पोरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्माण किये जाये। टेम्पोरी बेंच मार्क (TBM) में अक्षांश, को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। जिस मैप में टेम्पोरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उसे सत्यित सिग्नेचर व प्रमाणीकरण तथा फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।

3. नदीगर्भ से खनन की सीमा की दूरी न्यूनतम 50 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खनन के मूल क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से करना

जाएँ। खदान से लगान ग्राम एवं अधिसूचित क्षेत्र की सीमा पर खनिज निकास के सीमांकन कार्यवाही प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थान से निकटतम मुख्य मार्ग, रेलवेस्टेशन एवं पहुंच आपूर्ति स्थान की दूरी मानचित्र जानकारी प्रस्तुत की जाए। मुख्य / रेलवेस्टेशन की दूरी खदान के अक्षांशहीन में न्यूनतम 500 मीटर तथा दायांशहीन में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र नियमानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो जनहित कथन पत्र बनाने हेतु अधिसूचित क्षेत्र की आवश्यकतानुसार लम्बाई का निर्धारण, मार्ग सीमा पर सीमांकन तथा पारदर्शिता प्रमाण में इन बिन्दुओं उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान पर खनन में उपलब्ध रेत की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी गहराई गहराई पर मापन कर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की गहराई गणना हेतु गणनाकार की प्रस्तुत किया जाये।

6. यदि पूर्व में आवंटित स्थान पर खनन हेतु वाया स्टार पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्षेत्रांतरण की अवधि विस्तार की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में जिए गए उत्खनन की सकलित मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01 / 05 / 2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रावधान प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निदेशक एवं पर्यावरण प्रभावक के संयुक्त से रेत के विपणन (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आपसी मार्ग की आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध सकल सुरक्षित जानकारी / दस्तावेज (प्रमाण फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण किए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त खनि निदेशक एवं पर्यावरण प्रभावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्रमाण दिनांक 23 / 03 / 2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(अ) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29 / 05 / 2020

प्रस्तुतीकरण हेतु की गयीं कथन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावलि प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन की संबंध में ग्राम पंचायत महापुरी का दिनांक 17 / 01 / 2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **निरीक्षित / सीमांकित** – उपलब्ध कराकार, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह स्थान निरीक्षित / सीमांकित कर चिन्हित है।

3. **उत्खनन योजना** – जो भी योजना प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रमाणित

27/खनि/वैध/उत्तराखण्ड/2020 सिंचाईपुर दिनांक 04/03/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4 **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – जनपदीय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बागेश्वर–मानचित्र के द्वारा क्रमांक 1402/खनि/वैध–1/2019 बागेश्वर, दिनांक 21/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर कोई विद्यालय अथवा वैध खदानों की संख्या नियत है।

5 **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – जनपदीय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बागेश्वर–मानचित्र के द्वारा क्रमांक 1400/खनि/वैध–1/2019 बागेश्वर, दिनांक 21/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्ताव खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं अन्य आबादी आदि पाया जाना नियमित नहीं है।

6 **एन.डी.आई. का विवरण** – एन.डी.आई. जनपदीय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बागेश्वर–मानचित्र के द्वारा क्रमांक 1383/पी.एल.एन/पीएलएन/न्या/2019 बागेश्वर, दिनांक 28/12/2019 द्वारा जारी की गई रिपोर्ट आदि 3 वर्ष हेतु वैध है।

7 **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्धारित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की जांच प्रस्तुत की गई है।

8 **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आवासीय भवन–न्यूनतम 1.2 कि.मी., स्कूल भवन–न्यूनतम 2.8 कि.मी. एवं अस्पताल भवन–न्यूनतम 3.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। सड़कों का आवागमन 16 कि.मी. दूर है। संवेदनशील क्षेत्र दायरा के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

9 **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, कन्जर्वेशन पदुम्न नियंत्रण क्षेत्र द्वारा घोषित टिपिकली कोस्चुरेंड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10 **खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 880 मीटर, न्यूनतम 800 मीटर तथा खनन स्थल की लम्बाई – 985 मीटर, गहराई – 256 मीटर पायी गई है। खदान की नदी तट की दूरी किनारे से दूरी अधिकतम 110 मीटर एवं न्यूनतम 80 मीटर है।

11 **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार खदान पर रेत की गहराई 4 मीटर तथा रेत खनन की अनुमानित गहराई – 3 मीटर पायी गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,20,000 मेट्रिक टन है। रेत खनन हेतु प्रस्तावित स्थान पर प्रार्थना से पंजीकृत रेत खनन की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थान पर 4 गड्ढे (Pits) कोरिंग उपकरण द्वारा अधिकतम गहराई का खनन कर, खनित रेत की अनुमानित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की औसत मोटाई 4 मीटर है। रेत की अधिकतम गहराई हेतु मानचित्र भी प्रस्तुत किया गया है।

12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

i. पूर्व में संचालक खान प्रमाणित मजदूरी के माध्यम से रेत संग्रहण कार्य हेतु लगभग कुल संचालन 5.088 हेक्टेयर, अनुमानित 75,000 घनमीटर परिमाण हेतु राज्य स्तर पर पर्यावरण सम्बन्धित विभिन्न प्राधिकरण, राजस्थान द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 27/01/2016 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुपालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। फार्म अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

iii. मार्केटिंग कन्सोर्टियम (प्राईवेट लिमिटेड) जिला-बालोतरा-राजस्थान के प्रार्थना क्रमांक 1985/टीन-4/रि/2020 बालोतरा, दिनांक 27/05/2020 के अनुसार वर्ष 2016-17 में 43,400 घनमीटर, वर्ष 2017-18 में निरंक, वर्ष 2018-19 में 4,000 घनमीटर एवं वर्ष 2019-20 में निरंक उत्खनन किया गया है।

iv. निर्धारित माईनिंग प्लान नहीं लिया गया है।

13. **संग्रहण क्षेत्र में रेत खनन के लेआउट** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खान एवं प्रस्तावित स्थान के आसपास तथा ब्राउनफील्ड में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं दिनांक 08/21/2020 को रेत खनन के उत्खनन लेआउट Levels लेकर, उसी आधार पर विभाग के प्रावधानानुसार उत्खनन मानचित्रण सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गए है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु कम्पनी के समक्ष विभाग के द्वारा उपलब्ध निम्नानुसार प्रावधान प्रस्तुत किया गया है –

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
39.58	2%	0.79	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Gidhpuri	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Potable Drinking water Facility	0.16
			Running water facility for Toilets	0.15
			Plantation	0.10
			Total	**0.80**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि नियम निर्देशों के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रावधान एक मास में प्रस्तुत किया जाए।

15. नियमानुसार पेयजल विधि से एवं भवाई का कार्य ठेकेदार द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना के उत्खनन बिंदु जहां चल रहे क्षेत्र की उपस्थिति तक पुनर्स्थापन योजनी अनुसार कार्य एवं सम्बन्धी अधिकारी का उपयोग नहीं किया गया है। महामंत्री यही नहीं है तथा इसमें वर्षाकाल में लगभग 1.5 मीटर गहराई से अधिक तक का पुनर्स्थापन होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया -

1. प्रस्तावित अयस्क (ग्रेड-मध्यम) का स्तर 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में अधिसूचित/संरक्षित वनों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान श्रे-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **पुनर्स्थापन कार्य** — प्रस्तावित के अनुसार पांच वर्ष तक कुल 2,000 पौधे - 1,000 पौधे अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,000 पौधे (जामुन, करंज, शहतूत, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 250 पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक को खदान क्षेत्र में अगली 1.5 वर्ष में विस्तृत मार्ग अवरोध (Intercept Study) कराकर, रात्रि के पुनर्स्थापन (Replenishment) कराए जाने आवश्यक, तथा उत्खनन का नदी, नदीतल, कटीतल, कटीतल वनस्पति, जीव एवं भूमि जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर होने उत्खनन से प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त की जाये।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** —

   i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के पूर्व खनन लीज के अंदर / नदी तट (दोनों ओर) के 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी जल के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उत्खनित होने नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुणा 25 मीटर के ग्रिड (Grid) में किया जाएगा।

   ii. रेत उत्खनन के उत्खनित भूमिगत या पूर्व (नई मांग के अतिरिक्त रेतघाट / पूल) के माइनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के आसपास एवं डाउनस्ट्रीम में 500 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का कार्य पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व तथा उपरांत) इसी चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य अगली 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अप्रैल

2020, 2021, 2022 तक अभियारी कर्ता से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से की अंकित जैव डी-1 मजबूती सेतु माईन पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 502, ग्राम-मजबूती, तहसील-दल्लीराजहरा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर क्षेत्र में 10 मीटर अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक खनिज निकाले हुए कुल 60,000 घनमीटर उत्खनन के उपरान्त हेतु **परिशिष्ट-02** के अनिवार्य शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जिला स्तर की अनुशंसा की गई। खनन की समूचा कार्यवाही हाथ (Manually) की जाएगी। किसी भी **(River Bed)** में भारी मशीनों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में किसी भी खुदाई गड्ढे (Excavation pits) में संचित स्वाईट तथा वेट का परिवहन टैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

मामले पर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. मैसर्स मोहम्मद कासिम खान (एम-3 विभागीय केम्प माईन, ग्राम-विभागीय, ग्राम पंचायत मोहदाना, तहसील-कसडोल, जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा), पी. राजि नगर रोड, कंकाली जिला-रायपुर (अधिकतम 50 हजारी क्षमता 1500)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 452850 / 2020, दिनांक 01 / 05 / 2020।

प्रकरण का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मीनर खनिज) है। यह खदान ग्राम-विभागीय, ग्राम पंचायत मोहदाना, तहसील-कसडोल, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। प्रस्तावित माइनरी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता 12,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18 / 05 / 2020

समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा पावरपाइंट **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था –**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान एवं प्रस्तावित स्थान के अगल-बगल तथा कम-से-कम 500 मीटर की दूरी तक 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर सर्वेक्षण में रेत स्तर के लेवलिंग (Levels) मीटर ग्रिड मैप में उपलब्ध कर प्रस्तुत किये जावें। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (टेन्ट) क्षेत्र से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जावे। उक्त लेवलिंग (Levels) हेतु क्षेत्र में कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्माण किये जावें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) के आधार पर, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में

टम्पररी बेन्च मार्क (TBM) की भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफ सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. नदीघाट से खदान की दीर्घ की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 1/3 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इससे अनुसार खदान के कुल क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी संगणना कर, स्थल पर दर्शाकर, इसका पारंपरिक बाउंडरी प्लान में अभिदर्शित करने के उपरान्त, खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के आपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखना आवश्यक है। यदि मौके क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो रेखांकन प्रस्तुत कर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र की आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिह्नित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा बाउंडरी प्लान में इस संबंध उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मात्रा जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर 10 घन मी. की दर एक मात्रा (Pit) लगवाकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु नमूनाकन को प्रस्तुत किया जाये।

6. यदि पूर्व में अधिकृत स्थल पर खनन हेतु राज्य जल पर्यावरण सम्मत नियंत्रण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मत नियंत्रण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो तो पूर्व में उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिकतम मात्रा के मापन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पूर्वावेक्षण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो जिला वर्षों से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित नाप कर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपबंध प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निदेशक एवं पर्यावरण प्रभावक को खदान के क्षेत्र की लेवलिंग (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आपकी तथा की आवश्यकता होने पर उपकरण समेत सुसज्जित जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निदेशक एवं पर्यावरण प्रभावक को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के क्रमांक दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/05/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु की गयी प्रार्थना अंतर्गत प्रस्तुत प्रतिवेदन (पर्यावरण प्रभाव) समिति द्वारा देखी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न टिप्पणी पाई गई :-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – वन संरक्षण के संबंध में ग्राम पंचायत सिमरौरा का दिनांक 24/10/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **निरस्तकित/सीमांकित** – उपखण्ड कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार मय खदान निरस्तकित/सीमांकित की गयी है।

3. **वनस्पति योजना** – माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है जो वन संरक्षक (प्रा.वि.), जिला-बिलासपुर के द्वारा क्रमांक 36/खनि/वि/उपखण्ड/2020 बिलासपुर, दिनांक 04/05/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – उपखण्ड कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कांकेर/धमतरी-महासमुंद के द्वारा क्रमांक /1542/खनि./लीज-1/2019 कांकेर/धमतरी, दिनांक 01/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि अन्य कि खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – उपखण्ड कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कांकेर/धमतरी-महासमुंद के द्वारा क्रमांक 1541/खनि./लीज-1/2019 कांकेर/धमतरी, दिनांक 01/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र विद्यमान नहीं है।

6. **एन.ओ.आई. का निबंधन** – एन.ओ.आई. उपखण्ड कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कांकेर/धमतरी-महासमुंद के द्वारा क्रमांक 1275/भा.खनिज/लीज/भ.क/2018 कांकेर/धमतरी, दिनांक 28/12/2018 द्वारा जारी की गई निबंधन अवधि 2 वर्ष तक वैध है।

7. **डिस्टर्बेंस सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 28/07/2016 द्वारा निर्धारित प्रारूप में डिस्टर्बेंस सर्वे रिपोर्ट (Disturbance Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-सिमरौरा 0.250 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-सिमरौरा 0.250 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि.मी. दूर है। प्रस्तावित क्षेत्र खदान से 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना क्षेत्र से 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परिभाषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या संरक्षित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना अभिप्रमाणित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 1180 मीटर, न्यूनतम 1150 मीटर तथा खनन क्षेत्र की लम्बाई – 383 मीटर, अधिकतम चौड़ाई 158 मीटर एवं न्यूनतम 100 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से न्यूनतम किनारे से दूरी अधिकतम 232 मीटर एवं न्यूनतम 168 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेंप की गहराई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेंप की गहराई 4 मीटर तथा रेंप खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित समुचित योजना अनुसार खदान में समुचित रेंप की गहराई – 12.00 मीटर है। रेंप उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर खनन में तालाब रेंप गहराई की गहराई आगे के लिए प्रस्तावित स्थल पर 06 गहराई (Pits) सहायक इकाई वास्तविक गहराई का मापन कर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसमें अनुमत रेंप की अधिकतम औसत गहराई 3.5 मीटर है। रेंप की वास्तविक गहराई हेतु पंजीयन की प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस प्रस्ताव की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

13. **खदान क्षेत्र में रेंप सतह की लंबवत** – रेंप उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ से 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर पूरा 25 मीटर के बिंदु बिन्दुओं पर दिनांक 11/02/2025 को रेंप सतह के अंतिम लेवल (Levels) लेकर, उसे खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विवरण के अनुसार निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25	2%	0.50	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Chichpol	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Potable Drinking water Facility	0.15
			Plantation	0.20
			Total	0.75

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि वह विनियम के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव इस भाग में प्रस्तुत किया जाए।

15. रेंप उत्खनन नीतिगत तिथि से एक गहराई तक जारी लीज द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित खनिज योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेंप कुशलता संबंधी प्रमाण पत्र एवं एक सिविल अधिकारी का सत्यापित नहीं किया गया

है। महाभ्रंशी भूमि नहीं है तथा इसमें उपस्थित में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक तल का पुनर्वास होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार किया जाकर सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आलोचित खदान (ग्राम-पिपरोदा) का रकबा 4 हेक्टेयर है। खदान का तीन से 500 मीटर की परिधि में संरक्षित/संपालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान सी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **पुनर्वासीय कार्य** – प्रावधानिक के आधार पर नदी तट का कुल 1,200 लन मीटर – 600 लन मीटर के दोनों तरफ क्षेत्र 600 लन (जिलाधिकारी, कलेक्टर, पन्ना, अन्य समिति) तीन लम्बाई जायेगी। इसमें अनिवार्य पहुंच मार्ग एवं 300 लन मीटर अवरोध जायेगा।

3. पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गत अध्ययन (Season Study) कराकर, नदी के पुनर्भरण (Recharge) कार्य नहीं आयेंगे, जैव अवलोकन का नदी, मछलियां, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं कुल जीवों का प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर जैव अवलोकन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त की जाये।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का केलाइन डाटा –**

   i. जैव अवलोकन के अध्ययन मानसून के पूर्व (नई माह के अंतिम सप्ताह/जून) में माइनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 150 मीटर तक तथा खनन लीज के कगार / नदी तट (दोनों ओर) से 150 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सही पूर्व निर्धारित बिंदु बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में (जैव अवलोकन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं बिंदु बिन्दुओं पर जैव सतह के लेवल्स (Levels) का गणना किया जाएगा।

   iii. जैव सतह के पूर्व निर्धारित बिंदु बिन्दुओं पर जैव सतह के लेवल्स (Levels) के गणना का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जायेगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., जबलपुर को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भोड़ाकन्द आरोम ग्राम, ग्रा-2 जिलापन्ना-2 रोड माइन, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1, ग्राम-पिपरोदा, तहसील-कलेक्टर, जिला-पन्ना(मध्यप्रदेश-480001) कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर क्षेत्र में, जो उपलब्ध अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक लीजित दर्शाई गई, कुल 60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष का उत्पादन हेतु **परिशिष्ट-03** के समिति सदस्यों के अतिरिक्त उपस्थित प्रतिभागी, जो जिलाधीश से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। जैव की खुदाई मशीनों द्वारा (Manually) की जाएगी। नदी बेड (River Bed) से सारी खदानों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में निकाले गये खुदाई गड्ढे (Excavation pits) के लोकेशन माइनिंग तथा जैव का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

सभा समाप्त पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), मध्यप्रदेश को सहानुभूति भेजित किया जाए।

4. **मैसर्स श्री गंगा प्रसाद कंस्ट्रक्शन (ए–3 अनुनाती सीमेन्ट माईन, ग्राम–अनुनाती, तहसील–लोनी, जिला–मुरादाबाद), मुरादाबाद, उत्तरप्रदेश, लोनी, जिला मुरादाबाद सम्बन्धित का नदी क्रमांक 1206)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसईआईए / सीजी / एमआईएन / 189407 / 2020 दिनांक 28 / 02 / 2020। परिवेशीय प्रभावों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में वर्णित ग्रामों में खनन दिनांक 04 / 03 / 2020 द्वारा विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित किया गया। पर्यावरण प्रभावों द्वारा कमेटी बैठक दिनांक 18 / 03 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रकरण का विवरण – यह प्रकरणाधीन बिन्दु खनन (मोरम खनिज) है। यह खनन ग्राम–अनुनाती, तहसील–लोनी, जिला–मुरादाबाद स्थित खसरा क्रमांक 82 / 3 पार्ट, एरिया लीज क्षेत्र 2.0 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। प्रस्तावित खनिपट्टी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव की आवेदित प्रस्तावना क्रमांक-26 ऑन लाईन प्रतिवेदन है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18 / 05 / 2020

समिति द्वारा प्रकरण की गहनी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्पश्चात **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. नदी तलछट हेतु प्रस्तावित स्थान एवं प्रस्तावित स्थान के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 500 मीटर की दूरी तक 25 मीटर चौड़ा 25 मीटर का गिर्द बनाकर कॉन्क्रीट में बेस स्लाब के अलावा (Levels) लेवल पिलर बैल्ट में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (ग्राम क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तलछट के लेवल (Levels) जानकारी में किया जायें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु तल से 1.5 मीटर ऊँचे कंक्रीट (Concreted TBM structure) निर्माण किये जायें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) से प्रत्येक को–ऑर्डिनेटस (Co-ordinates) अंकित किये जायें। द्वितीय चरण में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी इंस्टॉल, उनके डाटा विभाग में उपलब्धीकरण उपरान्त फोटोग्राफ सहित जानकारी / एसआर प्रस्तुत किये जायें।

3. गतिशील रेत खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर तक नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। जहाँ कृषकों अनुसार खनन के कुछ क्षेत्र में खनिजयुक्त किसी प्रकार नमूना न हो तो उसकी सत्यता का पता लगाने का दायित्व, कृषकगण उपरोक्त माइनिंग प्लान में अभिलेखों द्वारा से सत्यापित करायें। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को नक्शे पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थान के निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति योजना की दूरी तथा जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो तो तलछट आवागमन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उपयुक्त मीटर पर सीमांकन तथा माइनिंग प्लान में इस आशय उल्लेख किया जाए।

5. मेरे [illegible] हेतु प्रस्तावित स्थल पर खनिज में उपलब्ध [illegible] की मात्रा [illegible] लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई, खनिज विवरण से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। मेरे की भविष्यित गहराई हेतु प्रावधान भी प्रस्तुत किया जाए।

6. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य शासन पर्यावरण सम्बन्धित निदेशक प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों से पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पूर्वानुमोदन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खनन पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च और उच्चतम पर्यावरण न्यायालय, नई दिल्ली के ओ.ए. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रावधान प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निदेशक एवं पर्यावरण प्रभावक के माध्यम से रेत के संचयन (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आवेदी भाग की आवंटित क्षेत्र से लगभग [illegible] जानकारी / फोटोग्राफ्स (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण किए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरानुसार खनि निदेशक एवं पर्यावरण प्रभावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष दिनांक 23/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/09/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु आई की प्रतिभिति उपस्थित नहीं हुए। पर्यावरण प्रभावक के पत्र दिनांक 29/09/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः उनका आवेदन समिति की दिनांक 23/08/2020 की आगामी बैठक में विचार किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पर्यावरण प्रभावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी बैठक दिनांक 04/08/2020 में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत सूचना के माध्यम से सूचना दी जाए।

पर्यावरण प्रभावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मैसर्स श्री गंगा प्रसाद कश्यप (ए-1 मध्यवर्ती सीमेन्ट माईन, ग्राम- बारदा, तहसील-लोरमी, जिला-मुंगेली), मुल्कुल, डाकघर/तहसील, लोरमी, जिला-मुंगेली मध्यांचल का नवीन आवेदन 1287)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोसिडिंग नम्बर - एसआईए /सीजी /एमआईएन / 143505/2020, दिनांक 26/02/2020। पर्यावरण प्रभावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से क्रमांक दिनांक 04/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। पर्यावरण प्रभावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 18/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

3. **प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खनन (मैनुअल माइनिंग) है। यह खनन ग्राम–बगवई, तहसील–तौरनी, जिला–बुरहानपुर स्थित पार्ट ओपन खसरा क्रमांक 236, कुल क्षेत्र क्षेत्र 1.243 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन सम्बन्धित नदी के किनारे खनन प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,1.42 घन्मीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दि.नाम 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा गहनता **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था** –

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान एवं प्रस्तावित स्थान के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 500 मीटर की दूरी तथा 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, सर्वेक्षण में रेत स्तर के लेवल (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी लिया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 3 टेम्पररी ट्रेन मार्क (Connected TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेन मार्क (TBM) में लाटीट्यूड, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। किन्तु मैप में टेम्पररी बेन मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें डायरिक डिवाइस से प्रमाणीकरण पश्चात फोटोग्राफ सहित जानकारी/प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जायें।

3. संवेदित या खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 50 मीटर से नदी के पाट की चौड़ाई का 50 प्रतिशत होने की अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर प्रदर्शित, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को नीचे दिए प्रतिरूप विवरण से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थान के निकटतम पुल, बांध एनीकट एवं उच्च आपूर्ति केबल की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि सीमित क्षेत्र उपलब्धतानुसार दूरी के अंदर स्थित हो तो उपयोग आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिह्नित कर उत्खनन सीमा का सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इसे संबंधित लिया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान पर कोचान के उपलब्ध रेत की गहराई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक (PIT) खोदकर उपयोगी गहराई गहराई का मापन कर, सक्षम विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। पिट की वास्तविक गहराई हेतु फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किया जाये।

6. यदि पूर्व में आवेदित स्थान पर खनन हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन विनियम अधिसूचना (एन.ई.आई.ए.) प्रावधानानुसार अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव विनियम अधिसूचना (डी.ई.आई.ए.) प्रावधानानुसार प्राप्त पर्यावरणीय स्वीकृति ली गई हो तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिकृत फर्म के साथ

में की गई कार्रवाई की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रतिष्ठान की सतत स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खनन पूर्व से प्रचलित है, तो स्थित वर्ष से लिए गए राजस्व की तथ्यात्मक सत्य की जानकारी कलेक्ट्रेट विभाग से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।

8. सामाजिक लेखापरीक्षा, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 01/05/2018 के अनुसार कॉर्पोरेट एनवायरमेंट रिस्पांसिबिलिटी (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. खनिज निरीक्षक एवं पर्यावरण प्रबंधक को लदान स्थल के लेवल (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आपसी मार्ग की आर्थोफोटो वेदाक से संबंधित प्रारूप सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (प्रमाणित फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण किए जाने हेतु निर्देशित किए जाए।

तदानुसार खनिज निरीक्षक एवं पर्यावरण प्रबंधक को एम.ई.एम. प्रस्तुतीकरण के प्रपत्र दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 125वीं बैठक दिनांक 29/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। पर्यावरण प्रबंधक के पत्र दिनांक 29/05/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि आपदाग्रस्त कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः उक्त प्रकरण समिति की दिनांक 03/06/2020 की आगामी बैठक में विचार किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पर्यावरण प्रबंधक को समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (प्रमाणित फोटोग्राफ) के साथ आगामी बैठक दिनांक 04/06/2020 में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस संबंध सूचना के माध्यम से सूचना दी जाए।

पर्यावरण प्रबंधक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मैसर्स श्री गंगा प्रसाद कारपा (ए-2 अमुनाही सैण्ड माईन, ग्राम-अमुनाही, तहसील-लोनी, जिला-मुरैना), मुकमुल, डबरीपुरा, लोनी, जिला-मुरैना सचिवालय का नवीन आवेदन (209)

ऑनलाईन आवेदन – प्रोसेसिंग नम्बर – एसआईए / सीएफ / एमएपी / 148537 / 2020, दिनांक 26/02/2020। पर्यावरण प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने के कारण दिनांक 04/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। पर्यावरण प्रबंधक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 18/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रकरणाधीन खदान (ग्रीन फील्ड) है। यह खदान ग्राम-अमुनाही, तहसील-लोनी, जिला-मुरैना स्थित खाते क्रमांक 82/1, कुल क्षेत्र क्षेत्र 4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उपरान्त समिति बैठक में विचार उपरान्त प्रस्तावित है। खदान की आवंटित उत्पादन क्षमता–89,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 122वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपरान्त **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-**

1. प्रस्तावित ऊपरी क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के तल की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. मेरा उपयोग हेतु प्रस्तावित स्थान एवं प्रस्तावित स्थान के आसपास तथा आसपास में 100 मीटर की दूरी तक, 200 मीटर पुल 25 मीटर का मिश्र लगाकर, डायगम में दिए गए के लेवल्स (Levels) लेकर दिए गए में प्रदर्शित एवं प्रस्तुत किये जावें। इसके अतिरिक्त ऊपरी सीमा के बाहर / नदी तट (फुल लेवल) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तल के लेवल्स (Levels) का भी दर्शाया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु 1 से 2 टेम्पोरी बेंच मार्क (Converted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्पोरी बेंच मार्क (TBM) में कोऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। दिए गए में टेम्पोरी बेंच मार्क (TBM) की दूरी, तथा सहित विभाग से इन्फोर्डकल उपयोग कोटोग्राफ सहित जानकारी/एस्टीमेट प्रस्तुत किया जाए।

3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 50 मीटर का नदी के फ्लड की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसमें अनुज्ञप्त खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना सम्भव न हो तो उपयोग मानचित्र में खनन, इसका पहलेवार कार्यान्वयन प्लान में अनिवार्य रूप से दर्शाया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एक प्रतिबिंबित रेखा को सीमा पर अंकित विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थान से निकटतम पुल, बस, एनीकट एवं उच्च आवृत्ति स्थान की दूरी पाया जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के आसपास में न्यूनतम 500 मीटर तथा आसपास में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो तो तकनीकी कारण एवं खनन हेतु प्रतिबिंबित रेखा को आवश्यकतानुसार नदी पर निर्धारित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माइनिंग प्लान में इस आशय का संशोधन किया जाए।

5. इस उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान पर वर्तमान में उपलब्ध 30 फीट चौड़ी खानों के लिए, प्रति हेक्टेयर में 10 से कम तथा गहराई (m) वाहनों तथा तकनीकी गहराई का मापन कर, सहित विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। इस की वास्तविक गहराई हेतु वहनता भी प्रस्तुत किया जाये।

6. यदि पूर्व में अनुमोदित स्थान पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), राष्ट्रीयस्तर आकलन समिति (राष्ट्रीय स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही एक्सटेंशन की अवधि विस्तार की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि उत्खनन पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी सहित विभाग से प्रमाणित आय व्यय प्रस्तुत की जाए।

ii. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

iii. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक का खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) से साथ आपसी मान की आपोजित बैठक में उपस्थित समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (प्रदूषण कंट्रोल) सहित प्रस्तुतीकरण हेतु जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. मंत्रालय के ज्ञापन दिनांक 22/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 29/05/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति की समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना सम्भव नहीं है। अतः उनका आवेदन समिति की दिनांक 03/06/2020 को आयोजित बैठक में विचार किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त पूर्ण जानकारी / प्रस्तावक (प्रदूषण कंट्रोल) के साथ आयोजित बैठक दिनांक 04/06/2020 में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बारे सूचना के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. **बेलवा की ओपनकास्ट (एम-1 ब्लॉक) तैम्बा माईन, ग्राम-बोदेली, तहसील-बारामा, जिला-कांकेर, सेक्टर-05, भिलाई, जिला-दुर्ग (संचालन का पत्रों क्रमांक 1268)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 150940 / 2020, दिनांक 17/04/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मीन माईनर) है। यह खदान ग्राम-बोदेली, तहसील-बारामा, जिला-कांकेर जिला खसरा क्रमांक 602, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित उत्खनन क्षमता-7,58,512.5 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपरान्त **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र एवं प्रस्तावित क्षेत्र के आगे-पीछे तथा आजू-बाजू से 500 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर मूल्य 25 मीटर का मिक्स क्रॉससेक्शन लेकर रेत खदान के लेवल्स (Levels) लेकर डिटेल मैप में उपस्थित कर प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के ऊपर / नदी तट तक पहुँचने

[illegible] से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी स्तर के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाएं। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। चिह्नित बेंच के टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) की फोटोग्राफ, उनके अंकित विवरण से प्रमाणीकरण पत्रों सहित फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / एवीडेंस प्रस्तुत किये जायें।

3. परियोजना के स्थान की सीमा की पूरी चौड़ाई 50 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 50 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) हेतु सर्वे करनी है। यदि इसमें प्रस्तावित स्थान के पूरा क्षेत्र में उपलब्ध किया जाना संभव न हो तो उसकी सूचना कर, नदी पर उपलब्ध, इसका पहुंचने कॉरिडोर पाथ के अतिरिक्त भाग से स्थान पाने। स्थान के समस्त क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को नीचे पर अंकित विवरण के परिमाण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थान के निकटतम पुल, बांध, बैरीकेट एवं उनकी आकृति सर्वेक्षण की पूरी सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / बैरीकेट की पूरी लम्बाई के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर तथा तथा अपस्ट्रीम है। यदि नदी क्षेत्र उपलब्धानुसार पूरी के अंदर स्थित हो तो तो उपरोक्त स्थान पर सुरक्षा हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिह्नित कर, नक्शा नीचे पर परिमाण तथा सहमति स्थान से द्वारा कराया सत्यापन किया जाए।

5. क्षेत्र सत्यापन हेतु प्रस्तावित स्थान पर वर्तमान में उपलब्ध हो की नदी पाट के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक मंडूक (पिट) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, सहित विवरण से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। मंडूक की वास्तविक गहराई हेतु एवीडेंस भी प्रस्तुत किया जाये।

6. यदि पूर्व में आवंटित स्थान पर खनन हेतु संयुक्त जल प्रबंधन निर्देशित प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), क्षेत्रीय कार्यालय जिला स्तरीय पर्यावरण आकलन निर्देशन प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) क्षेत्रीयकृत द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अतिरिक्त कार्य के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रतिवेदन की अवधि विधि की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खनन पूर्व में संचालित है, तो जिला खनि के लिए गए संचालन की वास्तविक गहराई की जानकारी सहित विवरण से प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञा. / 22 / 2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. यदि निर्देशिका एवं फोटोग्राफ्स प्रस्तावक को खनन में क्षेत्र के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ अलग पाट की आवश्यकता विवरण सम्बन्ध सुसंगत जानकारी / एवीडेंस (अवलोन फोटोग्राफ्स) सहित प्रमाणीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तत्पश्चात यदि निर्देशिका एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.आई.ए.ए., क्षेत्रीयकृत के द्वारा दिनांक 23 / 05 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 25 / 05 / 2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी आमंत्रित किए, अधिसूचित प्रतिलिपि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अध्ययन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई –

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – खेत खदान के संबंध में ग्राम पंचायत रिपोर्ट का दिनांक 06/12/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित / सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह भाग चिन्हांकित / सीमांकित कर पाया है।

3. **अन्वेषण योजना** – माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उज्जैन कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक 1240/खनिज/उज्जै/ जे/ वि/2019–20 दिनांक 19/03/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित स्थल** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उज्जैन स्थल कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक 127/ खनिज/ मेमोरेंडम/2019–20 कार्यालय दिनांक 28/05/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आवेदित क्षेत्र का खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उज्जैन स्थल कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक 1239 (सी)/खनिज/मेमोरेंडम/2019–20 कार्यालय दिनांक 19/03/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्ताव खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, इंटीकेट एवं ऐतिहासिक आकृति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एन.ओ.आई. का विवरण** – एन.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–उज्जैन स्थल कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक 828/खनिज/मेमोरेंडम अधिसूचना/2018 कार्यालय दिनांक 09/01/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रपत्र में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–आंवली 3.7 कि.मी. स्कूल ग्राम–आंवली 2.8 कि.मी. एवं अस्पताल जावरपट्टी 3.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.0 कि.मी. दूर है। संरक्षित वन खदान से 1 कि.मी. की दूरी तक कुछ/एलीजेंट स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – पर्यावरणीय प्रभावित क्षेत्र 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बफ्फर जूलॉजिकल निवास क्षेत्र द्वारा घोषित विरोधाभासी पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या पारिस्थितिकीय क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 300 मीटर, न्यूनतम 280 मीटर तथा खनन स्थल की अधिकतम लम्बाई – 470 मीटर, चौड़ाई – 154 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी निम्नानुसार

[illegible] से दूरी अधिकतम 30 मीटर एवं न्यूनतम 25 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – प्रस्तावित अनुसार खदान का रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनेबल रेत की मात्रा – 1,56,612 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र पर सर्वेक्षण में उपलब्ध रेत स्तर की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी उपलब्धित गहराई का मौका जा. स्थानीय किसान से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु मौके पर की प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में सर्वश्री [illegible] के नाम से रेत खनन [illegible] क्षेत्रफल 62.2 हेक्टेयर [illegible] 1,29,000 घनमीटर [illegible] हेतु जिला स्तर पर पर्यावरण [illegible] जिला– [illegible] द्वारा जारी दिनांक 21/03/2017 के द्वारा जारी दिनांक से 03 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। [illegible] प्रस्तुत नहीं की गई।

iii. [illegible] (खनिज शाखा), जिला– [illegible] के द्वारा [illegible] 128/खनिज/[illegible]/2020–21 [illegible] दिनांक 28/08/2020 के अनुसार वर्ष 2017–18 में 12,849 घनमीटर, 2018–19 में 32,819 घनमीटर एवं वर्ष 2019–20 (दिनांक 15/06/2019 तक) 6,021 घनमीटर उत्खनन किया गया है।

iv. निर्धारित प्रावधानुसार [illegible] नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र एवं प्रस्तावित स्थल के अवलोकन तथा उत्खनन के 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर मुख्य 25 मीटर के बिन्दुओं पर दिनांक 18/08/2020 को [illegible] के [illegible] लेवल्स (Levels) लिया, उसी सहित जिला के प्रमाणीकरण उपरांत कोटेशनस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01/08/2018 के अनुसार कॉर्पोरेट (Corporate Environment Responsibility) हेतु राशि के साथ विवरण को नया उपबंध निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है –

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

52.50	2%	1.05	Following activities at Nearby Government Adim Jati Kalyan Vibhag Middle School Village-Bodali	
			Rain Water Harvesting System	0.84
			Running water facility for Toilets	0.20
			Plantation	0.30
			Total	1.14

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रावधान एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

16 **नैरो माइनिंग क्षेत्र** – पट्टे के क्षेत्र की चौड़ाई अधिकतम 300 मीटर एवं न्यूनतम 230 मीटर है जबकि खदान की नदी तट से दूरी न्यूनतम 25 मीटर है। खदान की नदी तट से दूरी, नदी के पार की चौड़ाई का न्यूनतम 10 प्रतिशत होना चाहिए। अतः माइनिंग प्लान में नदी तट से न्यूनतम 30 मीटर सेटबैक उल्लेखित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें वह 20मीटर नैरो माइनिंग क्षेत्र रखा गया है। इस प्रकार खेत उत्खनन का कार्य अधिकतम 4.99 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

16 रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भवाई का कार्य क्रेशर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17 पर्यावरणीय प्रबन्धन द्वारा 5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं सम्बन्धित अधिकारी का सम्मत्ति पत्र किया गया है। महाबाड़ी नदी नहीं है तथा इसमें वर्षाकाल में अधिकतम 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की सम्भावना है।

समिति द्वारा विचार किया उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

1 अधिसूचित खदान (ग्राम-बोदली) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक कम होने के कारण यह खदान श्रे-2 वर्ग की मानी गयी।

2 **वृक्षारोपण कार्य** – प्रारूपिवार के अनुसार इस नदी तट पर कुल 2,000 नग पौधे – 1,250 नग आंवला के पौधे तथा शेष 1,250 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 1,000 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3 पर्यावरण प्रबन्धक ने खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत मार्ग अध्ययन (Bataon Study) करवाकर, वार्षिक रेत के पुनर्भरण (Replenishment) कराए गयी आकड़े, रेत उत्खनन का नदी भूविज्ञान, स्थानीय जलवायु, जीव एवं वृक्ष जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त की जाए।

4 **जीव क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के पूर्व खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (रिवर बेड) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। तत्पश्चात सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुणा 25 मीटर के ग्रीडवार (Grid) में किया जाएगा।

ii. रेत खनन के उपरान्त मानचित्र के पूर्व नदी तट के अतिरिक्त कटाव / डूबान में नदीगत क्षेत्र क्षेत्र तथा क्षेत्र क्षेत्र के अक्षांशीय एवं द्राघिमीय में 100 मीटर तक तथा खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (रिवर बेड) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार पीआर-मानचित्र में रिग उत्खनन प्रारम्भ करने के पूर्व तट (बाहरी) इसी ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य अधिकतम 3 माह तक निरंतर किया जायेगा। पीआर-मानचित्र के अनुसार वित्तवर्ष 2020-2021, 2021-2022 एवं पी-मानचित्र के अनुसार उत्खनन 2020-2021, 2021-2022 तक अनिवार्य रूप से एम.डी.आई.ए.ए. प्रमाणीकरण को प्रस्तुत किए जायेंगे।

v. समिति द्वारा निर्धारित जिसमें जनपद कार्यालयों के भी अधिकारी, एस.-1 कंपनी, रेत्य माईन खनन क्रमांक 602, एस-कंपनी तहसील-पाराघाट, जिला-बालाघाट, मुख्य क्षेत्र सेक्टर 3 सेक्टर में से रेत माईनिंग क्षेत्र 100 हेक्टेयर क्षेत्र तक करने एवं 4.99 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 74,200 मेट्रिक टन अनिवार्य रेत उत्खनन हेतु परिशिष्ट-04 में वर्णित सर्वे के अधीन मार्गदर्शित अधिसूचित, नदी डिपाक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की नापाई अभियंता द्वारा (Manually) की जाएगी। फ्लेट रेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। क्रेशर क्षेत्र से सिवाय रेत नापाई रखने (Excavation pits) से अधिक गहराई तक रेत का परिवहन ट्रेक्टर ट्रॉली द्वारा किया जायेगा।

vi. रेत माईनिंग क्षेत्र एवं अधारित माईनिंग क्षेत्र का सीमांकन का प्रतिवेदन जिला के द्वारा तैयार करने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जायेगी।

शेष सभी पर्यावरण सम्बन्धित निर्धारित प्रतिबंधकों (एम.डी.आई.ए.ए.), मानीटरिंग को यथानुसार सूचित किया जाए।

ई. मैसर्स श्री परवेज अहमद खान (सिंगनपुर सैण्ड माईन, ग्राम-सिंगनपुर, तहसील-कोसमतरा, जिला-कोरबा(पा.), छत्तीसगढ़, जिला-रायपुर (अधिकतम का नदी क्रमांक 1170)

ऑफलाईन आवेदन – प्रपत्र-ज्ञ नमूना – एम.आई. / सीसी / एमआईए / 04/2020 दिनांक 13/02/2020 परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑफलाईन आवेदन में कमियां होने के कारण दिनांक 18/02/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कमित जानकारी दिनांक 06/05/2020 को ऑफलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मीन सहित) है। यह खदान ग्राम–बरमसुरा, तहसील–बेलसोंडा, जिला–बीजापुर स्थित गाटा क्रमांक [illegible] ग्राम [illegible] मुख्य सीमा क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदानस्थल नदीगर्भ क्षेत्र नदी से किनारा लगा प्रस्तावित है। खदान की आयोजित खनन क्षमता–30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 122वीं बैठक दिनांक 18/05/2020

समिति द्वारा प्रकरण की चर्चा एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्पश्चात **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था**–

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत खनन हेतु प्रस्तावित स्थान एवं प्रस्तावित स्थान के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर चौड़ा 25 मीटर का बिंदु बनाकर, अंकन से रेत सतह से लेवल (Levels) लेकर बिंदु मेप में प्रदर्शित एवं प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बायें / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी धारा के साथ (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में अक्षांश, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। दिए गए में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) की भी सर्वाधिक, कम सहित विवरण के प्रमाणीकरण सहित फोटोग्राफ सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।

3. नदीगर्भ से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 50 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 50 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इससे अनुकूल खदान के दूर क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो खदानी स्थान का, नदी का प्रवाह, इसका जलस्तर वाहुनिक प्रभाव के अतिरिक्त अन्य से आकलन किया जाये। खदान का खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को सीमा पर सहित विवरण से तैयारिक कार्यवाही प्रमाण सह प्रस्ता किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थान से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्थान की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि क्रीड़ा क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र की आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, रायल्टी सीधे पर वीयरिंग तथा वाहुनिक प्रभाव से इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान पर अंकित में उपलब्ध रेत की मात्रा जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी गहराई गहराई का मापन कर, सहित विवरण से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की उपलब्धित गहराई हेतु नक्शा भी प्रस्तुत किया जाये।

6. यदि पूर्व में आयोजित स्थान पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अभिलेखित शर्तों की पालन

में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावित की अवस्थ स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

i यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग के प्रमाणित प्रपत्र पर प्रस्तुत की जाए।

ii भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

iii खनि निरीक्षक एवं पर्यावरण प्रबंधक की सहायता से लेवल (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) की साथ जानकारी साथ की आवेदित क्षेत्र के पारंपरिक मानचित्र सुसंगत जानकारी / दस्तावेज प्रस्तावित परियोजनाओं सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं पर्यावरण प्रबंधक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्रपत्र दिनांक 23/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/05/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु की गई अनुपूरकीय, अतिरिक्त प्रतिवेदित प्रस्तुत हुए। पर्यावरण प्रबंधक द्वारा समिति के समक्ष अवगत किया गया कि आवेदकों द्वारा सहित के साथ बैठक में प्रस्तुतीकरण किया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा प्रस्तुत पत्र प्रबंधक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत कार्यसूची में निर्णय लिया गया कि पर्यावरण प्रबंधक की आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में बताई गई उपरोक्त जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

पर्यावरण प्रबंधक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स श्री आशीष गुप्ता (आवरी सीमेंट माईन, ग्राम–आवरी, तहसील–केसकाल, जिला–कोण्डागांव), फाफाडीह पीएल ऑफिस, स्टेशन रोड, थाना–गंजमारगा, तहसील व जिला–बालोद (सम्मिलन का नवमी क्रमांक 1174)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसएआई / सीजी / एमआईए / 400815/2020, दिनांक 13/02/2020। पर्यावरण प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से प्रपत्र दिनांक 18/02/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। पर्यावरण प्रबंधक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 08/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रकरण का विवरण – यह प्रकरणित ग्रेनाइट खदान (मेसर्स सहित) है। यह खदान ग्राम–आवरी, तहसील–केसकाल, जिला–कोण्डागांव स्थित खसरा क्रमांक 1/2 मुख्य सीमा क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन गहराई से किया जाना प्रस्तावित है। उत्खनन की आवेदित उत्पादन मात्रा–50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

समिति द्वारा प्रकरण की गहनता एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्पश्चात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के तट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित क्षेत्र के आरम्भ एवं अवसान बिन्दु से 100 मीटर की दूरी तथा 25 मीटर मूल्य 25 मीटर का सिद्ध कराकर, आंकलन में तेल स्तर से नेमप्रदा (Levels) लेकर जिस क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य प्रस्तुत किये जाने) इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र से बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी जल के स्तर (Levels) का भी नापी किए जाये। उक्त नेमप्रदा (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्माण किये जाने। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में कार्डिनेट, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। जिस बेंच के टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) का भी कार्डिनेट, उक्त खनिज विभाग से प्रमाणीकरण तत्पश्चात फोटोग्राफ सहित जानकारी / कार्डिनेट प्रस्तुत किये जाये।

3. नदीतट से खनन की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के तल की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खनन के कुल क्षेत्र के निर्धारण किया जाना संभव न हो तो उपरोक्त तथ्यों का ध्यान रख प्रस्तावित, इसका खनिज मानचित्र चयन से अधिकतम क्षेत्र से कराया जाये। खनन के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र का सीमांकन उक्त खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं उच्च आबादी स्थल की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खनन के अवसान से न्यूनतम 500 मीटर तथा आरम्भ से न्यूनतम 250 मीटर तथा जाना अनिवार्य है। यदि क्षेत्र की जानकारानुसार दूरी से अधिक मिलते हो तो सर्वेक्षण आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र की आवश्यकतानुसार चयन पर निर्णय कर, प्रमाण मांगे पर विभाग तथा मानचित्र चयन में इसका समावेश किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर अवैधान में उपलब्ध रेत की मात्रा जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उपलब्ध मात्रात्मक मात्रा का मापन कर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की मात्रात्मक गणना हेतु पंचनामा की प्रस्तुत किया जाये।

6. यदि पूर्व में आवंटित स्थल का अवैध हेतु राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), उत्तराखण्ड अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) उत्तराखण्ड द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अतिरिक्त शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्षेत्रफल की अवशेष स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि आवेदन पूर्व से अपंजीकृत है, तो विभाग द्वारा में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत की जाए।

8 भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के सी.एस. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9 पट्टा निरीक्षक एवं परिचालन प्रबन्धक को भ्रमण के समय की स्तरावली (Levels) तथा कार्य सर्वेयर (Surveyor) के माध्यम अलावी भाग की आवंटित केटल के अवस्थित समस्त सूचना जानकारी / दस्तावेज (अक्षांश पोजीशनिंग) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

मध्यप्रान्त पट्टा निरीक्षक एवं परिचालन प्रबन्धक की एम.ई.एल.डी., सतनाकलां के प्रपत्र दिनांक 29/05/2020 प्राप्त प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(v) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/05/2020.

प्रस्तुतीकरण हेतु की गयी आवश्यकता अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परिचालन प्रबन्धक द्वारा समिति के समक्ष अवगत किया गया कि आवेदकगण अपनी के समिति के समक्ष केटल के प्रस्तुतीकरण किया जाना सम्भव नहीं है। अतः अलावी भाग के आवंटित केटल में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परिचालन प्रबन्धक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परिचालन प्रबन्धक को अलावी भाग के आवंटित केटल से पूर्व के यहां गई उपरोक्त जानकारी एवं समस्त सूचना जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
परिचालन प्रबन्धक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मैसर्स श्री सूरज कुमार अग्रवाल (सहसपुरी सैम्प्ल क्वारी, ग्राम–सहसपुरी, तहसील व जिला–सरगुजा), मेहरू पार्क रोड, सूरजपुर, जिला–सरगुजा (परिचालन का नवीं क्रमांक 1178)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एमएलईए / सीजी / एमएलईएल / 143401 / 2020 दिनांक 14/12/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (रिवर बेसिन) है। यह खदान ग्राम–सहसपुरी, तहसील व जिला–सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 310/326, कुल क्षेत्र रकबा 4.147 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मानव मंदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवंटित उत्खनन क्षमता – 58740 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

केटलों का विवरण –

(अ) समिति की 317वीं बैठक दिनांक 29/02/2020.

समिति द्वारा उत्खनन की गयी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण उपरांत उपस्थित **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-**

1 प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के तल की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2 रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान एवं प्रस्तावित लम्बाई के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तथा 25 मीटर गुणा 05 मीटर का बिन्दु अलावा, कार्यालय में रेत स्तरों के लेवल (Levels) लेकर चित्र तैयार कर प्रस्तुत किया जाये। उक्त लेवल (Levels) हेतु कम से कम 2 लेवलकी रेत खदान

(Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) से आरएल, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। सिटू बेंच के टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें ड्रॉइंग सिमट में प्रदर्शित करना आवश्यक फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाये।

3. एक्सीलेटर से उत्खनन की सीमा की दूरी न्यूनतम 30 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार उत्खनन के सूत्र क्षेत्र में उत्खनन किया जाना सम्भव न हो तो उसकी गणना कर लगत एवं दर्शाकर, इसका उपयोग माइनिंग प्लान के अनुमोदन क्रम में कराया जाये। उत्खनन के कारण क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा एवं खनिज निकाय से सीमाकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल के जियोट्रायल पुट, क्वार, एक्सीकवेट एवं जल आपूर्ति कनेक्शन की दूरी बताए जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुट /एक्सीकवेट की दूरी उत्खनन के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 200 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि नीचे क्षेत्र तकनीकानुसार दूरी के अंदर स्थित हो तो उस परिस्थिति आवेदन पत्र प्रस्तुत, हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका भाग पर सीमांकन तथा माइनिंग प्लान में इस कार्य प्रदर्शित किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर सर्वेक्षण से प्रस्तावित रेत की मात्रा जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक नक्शा (Pit) खोदकर नमूनों परीक्षण रिपोर्ट का भाग कर, खनिज निकाय से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की गुणवत्ता रिपोर्ट हेतु प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया जाए।

6. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सम्बन्धी निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) उत्तरांचल अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्बन्धी निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), उत्तरांचल द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो तो पूर्व में उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिनियम शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावित की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व में संचालित है, तो पिछले वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज निकाय से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/04/2014 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निदेशक एवं परिमाणन प्रमाणक को स्थल से रेत के नमूने (Levels) लेने तथा सर्वेयर (Surveyor) के साथ जनपदीय स्तर की आवश्यक बैठक में उपलब्ध वास्तविक मूल्यांकन जानकारी / प्रमाणित प्रमाण फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण किए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निदेशक एवं परिमाणन प्रमाणक को एस.ई.ए.सी., उत्तराखण्ड के समक्ष दिनांक 08/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 310वीं बैठक दिनांक 13/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता उपस्थित हुए। समिति के समक्ष परिमाणन प्रमाणक द्वारा अवगत किया गया कि समिति के समक्ष अपूर्ण

जनकारी / प्रस्तावित होने के कारणों से आज बैठक में अनुमोदन हेतु नहीं लिया गया है। अतः उक्त आवेदन समिति की दिनांक 18/05/2020 की कार्यवाहित बैठक में विचार किया जाए। समिति द्वारा परियोजना प्रबंधक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्पश्चात निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रबंधक की अपना पूर्व जनकारी / प्रस्ताव (प्रदाता कोलोबोरेशन) के साथ अनावश्यक बैठक दिनांक 18/05/2020 में अनुमोदन हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बात का दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रबंधक को दूरभाष के माध्यम से अनुमोदन हेतु सूचित किया गया।

(ग) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

अनुमोदन हेतु कोई भी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए। परियोजना प्रबंधक के पत्र दिनांक 18/05/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि जनरिटर्न कालनी की समिति के साथ बैठक में अनुमोदन हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्पश्चात निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रबंधक को आगामी माह में आयोजित बैठक में पूर्व में लाए गई अधिक जनकारी एवं समस्त सुसंगत जनकारी / दस्तावेज अंतिम अनुमोदन हेतु अग्रसर किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रबंधक को एम.ई.एस. लखीमपुर के द्वारा दिनांक 23/05/2020 द्वारा अनुमोदन हेतु सूचित किया गया।

(घ) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/05/2020:

अनुमोदन हेतु भी विषय अवधारण, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जनकारी का अध्ययन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई –

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – जिला पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायत महमदपुरी का दिनांक 28/03/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **निस्तारित / सीमांकित** – अनुसूचित कलेक्टर, सर्विस सड़क से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार वन प्रदान निस्तारित / सीमांकित कर लिया है।
3. **जलापूर्ति योजना** – ब्यूलिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो ग्राम पंचायत (प्रति प्रदा), जिला-लखीमपुर के प्रमाण क्रमांक/415/खनि-4/2018 पत्रांक दिनांक 28/01/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में विद्यालय खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) जिला-लखीमपुर के प्रमाण क्रमांक 2428/खनि-1/दो नैनाणी/2020 लखीमपुर, दिनांक 30/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अधिकृत अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक सेवा / उपयोगिता** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) जिला-लखीमपुर के प्रमाण क्रमांक 2428/खनि-1/दो नैनाणी/2020 लखीमपुर दिनांक 30/01/2020 द्वारा जारी क्रमांक 114 अनुसार

जनका खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक सेवा जैसे धार्मिक स्थल, अस्पताल, स्कूल, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल, एयरपोर्ट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र चिन्हित नहीं है।

6. **एस.ओ.आई. का विवरण** – एस.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 2003/ख.नि–1/रेत नीलामी/2018 रायगढ़ दिनांक 28/11/2018 द्वारा जारी की गई निरापत्ति अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2016 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी**– निकटतम आबादी ग्राम–साल्हीपुरी 0.2 कि.मी., सहूत ग्राम–कटकमुड़ा 0.5 कि.मी. एवं अमलाटान ग्राम–कालाकुदारी 4.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 7 कि.मी. दूर है। पूरा खदान से 500 मीटर की दूरी पर आरक्षित वन स्थित है।

9. **पर्यावरणीय/वैधानिकता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित वैधानिकता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – प्रस्तावित अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 440 मीटर तथा खनन स्थल की लम्बाई – 270 मीटर, अधिकतम चौड़ाई – 145 मीटर बताई गई है। खदान की नदी तट के पश्चिमी किनारे से दूरी न्यूनतम 45 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – प्रस्तावित अनुसार खदान पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर बताई गई है। अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनेबल रेत की मात्रा – 36,740 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर उत्खनन के उपरान्त रेत बालू की गहराई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, अभिज्ञ विवरण के प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3 मीटर है। रेत की वास्तविक मात्रा हेतु परामर्श की प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**–

    i. पूर्व में कलिंगा ग्राम पंचायत महासमुंद के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 510/538, क्षेत्रफल 4.047 हेक्टेयर, प्रमाण–62,265 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण संघापन निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 28/10/2017 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

    ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। कार्य अवधान रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज साधन), जिला-सागर के ज्ञापन 4096/ख.नि.-1/रेत /2020 सागर, दिनांक 17/08/2020 के अनुसार वर्ष 2019-20 में 12,000 घनमीटर उत्खनन किया गया है। उक्त प्रकरण में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के उत्खनन की जानकारी नहीं दी गई है।

iv. निर्धारित मानचित्र प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत साइज के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खदान एवं प्रस्तावित स्थल के अवलोकन तथा डाटागढ़ोन में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर पुनः 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं दिनांक 20/02/2020 को रेत खदान के अलग-अलग लेवल्स (Levels) लेकर, एवं खनिज विभाग से प्रस्तावित उत्खनन कार्यालय सहित जानकारी/प्रस्तावित प्रस्तुत किये गये हैं।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विवरण में वर्ष उपरांत निम्नानुसार प्रावधान प्रस्तुत किया गया है -

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
35.72	2%	0.71	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Sahaspuri	
			Rain Water Harvesting System	0.5
			Running water facility for Toilets	0.15
			Plantation	0.1
			Total	0.75

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – कुल खदान में 120 मीटर की दूरी का डाटागढ़ोन के किनारे है। नये माइनिंग अनुसार पूरा की आवश्यकता में कम से कम 250 मीटर दूरी छोड़ना आवश्यक है। माईनिंग प्लान में अतिरिक्त 130 मीटर जमीन तक 19.570 घनमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र बताया गया है। प्राप्त रेत उत्खनन का कार्य अंतर्गत 22.420 घनमीटर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

16. **पूर्वानुमान आय** – प्रस्तावित के आधार पर यदि नए पट्टे 1.600 नग रेत - 800 नग अनुसार के रोयल्टी तथा शेष 800 नग ट्रांसपोर्ट, अवैध, खनन, ढुलाई रोयल्टी जमाए जाएंगे। इसमें अतिरिक्त पट्टा मार्ग का 200 नग रोयल्टी जमाए जाएंगे।

17. समिति द्वारा नोट किया गया कि प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उत्खनन रेत खदान की नीलामी आमंत्रण के लिए प्रस्तावित स्थल पर छोटे नाले गहराई 3मी. की उपस्थित मानचित्रण में रेत की उपलब्ध अधिक नीलाम 5 मीटर अवस्थित की नहीं

है। अतः समिति में उपलब्ध रेत स्टाक की गणना जनता के लिए गठित डिस्प्ले एवं कंटेंटेशनल प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. लिंगत कार्य के लिए एवं उपलब्ध की वास्तविक मात्रा की आनलाईन सूचित विभाग से प्रमाणित मात्रा तय प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उपलब्धता हेतु प्रस्तावित स्थान पर उपलब्ध रेत की गुणवत्ता के लिए, क्रीक क्रेशर में कम से कम दो गड्ढा (Pit) खोदकर उपलब्ध रेत की गुणवत्ता का भान कर, सूचित विभाग व प्रमाणित आनलाईन प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गुणवत्ता हेतु नवीन प्रकरणों एवं कंटेंटेशनल को प्रस्तुत किया जावे।
3. स्थल निरीक्षण के उपरान्त सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रावधान प्रस्तुत किया जाए।

समिति/उप्र प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. सेवानी श्री धूल कुमार अग्रवाल (कवार सेण्ड क्वारी, ग्राम-कवार, तहसील व जिला-रायगढ़), नेहरू पार्क रोड, मुरलीपुर, जिला-सरगुजा (सचिवालय का नवमी क्रमांक 1177)

ऑनलाईन आवेदन – प्रस्तावित गनवा – एनआईए / सीएस / ईआईए / 143441 / 2020, दिनांक 15 / 02 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण – उक्त प्रस्तावित रेत खदान (मेजर खनिज) है। यह खदान ग्राम-कवार, तहसील व जिला-रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 838, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान मांड नदी से किनारे जनन प्रस्तावित है। खदान की अधिकतम उत्पादन क्षमता – 80,000 मेट्रिक टन है।

सेवानी का विवरण –

(अ) समिति की 317वीं बैठक दिनांक 20 / 02 / 2020

समिति द्वारा प्रकरण की गहनी एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन तथा उपस्थित **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के तट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान एवं प्रस्तावित क्षेत्र के आसपास तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 20 मीटर गुणा 20 मीटर का ग्रिड बनाकर, जांचना में रेत क्षेत्र के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाएं। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Connected TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में अक्षांश, का-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाएं। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उनके सूचित विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

5. नदीघाट के खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 50 मीटर तक नदी के तट की गहराई का 50 प्रतिशत [जो भी अधिक हो] रखी जाएगी है। यदि इसमें अनुज्ञप्ति क्षेत्र की कुल क्षेत्र से उपखनन किया जाना संभव न हो तो तकनीकी समिति द्वारा, नदी पर प्रस्तावित, इसका उपयोग मशीनिक उपकरण से अनियंत्रित रूप से उत्खनन जाए। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र का नक्शे पर चिह्नित विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

6. प्रस्तावित खान से निकालने पूर्व, बाद, एनेक्चर तथा उच्च आकृति मॉडल की दूरी तथा जानकारी प्रस्तुत की जाए। पूर्व / एनेक्चर की दूरी खदान के आरम्भिक से न्यूनतम 250 मीटर तथा आरम्भिक से न्यूनतम 500 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि क्षेत्र क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी से अधिक मिल रही तो उपरोक्त अंतराल का पालन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिह्नित कर, खनन क्षेत्र पर सीमांकन तथा मशीनिक प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

7. उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान पर वर्तमान में वाहनों का जो यातायात जनपद के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक पेड़ [P4] लगाकर उसकी वानस्पतिक लम्बाई का मापन कर, सम्बन्धित विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही वानस्पतिक लम्बाई हेतु गणना भी प्रस्तुत किया जाये।

8. यदि पूर्व के आवंटित खान पर खनन हेतु कराए गए पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (ईआईए ए.) छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (डीईआईए ए.) छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावित की जाने वाली खिरिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खनन पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी सक्षम विभाग से प्रमाणित कर तब प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 01/04/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रपत्र प्रस्तुत किया जाए।

9. यदि निविदा एवं परिसीमन प्रमाणपत्र को कराने में रेत के लेवल (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आपसी मत की कूटरचित रिपोर्ट में उपरोक्त गलत सूचना जानकारी / कथनादि (अंकन फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार यदि निविदा एवं परिसीमन प्रमाणपत्र को एम.ई.ए.टी. छत्तीसगढ़ के माध्यम दिनांक 08/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 31वी बैठक दिनांक 13/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु की दिनांक प्रस्ताव, अधिकृत अधिसूचित समिति द्वारा। समिति के समक्ष परिसीमन प्रमाणपत्र द्वारा अवगत किया गया कि समिति के समक्ष अपूर्ण जानकारी / अप्रमाणित होने के कारण मेरा में प्रस्तुतीकरण दिनांक तारीख सम्भव नहीं है। अतः उक्त आवेदन समिति की दिनांक 13/05/2020 की कार्यवाही विषय में विचार किया जाए। समिति द्वारा परिसीमन प्रमाणपत्र की अनुपस्थिति को मान्य किया गया।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रबंधक को समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (डिटेल्ड कंटेंट्स) के साथ आयोजित बैठक दिनांक 18/05/2020 में अनुमोदनार्थ हेतु निर्देशित किया जाए एवं इसी क्रमानुसार सूचना के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रबंधक को सूचना के माध्यम से अनुमोदनार्थ हेतु सूचित किया गया।

(ग) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020

अनुमोदनार्थ हेतु आई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रबंधक के पत्र दिनांक 18/05/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में अनुमोदनार्थ हेतु उपस्थित होना सम्भव नहीं है। अतः अलगानी मद के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रबंधक को अलगानी मद के आयोजित बैठक में पूर्व में जारी कई अंकित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित अनुमोदनार्थ किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रबंधक को एम.डी.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा अनुमोदनार्थ हेतु सूचित किया गया।

(घ) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 29/05/2020

अनुमोदनार्थ हेतु की दिनांक 29/05/2020 अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रांकित प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **मद्य संचालन का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – मेसर्स एस.के. ग्रुप के संचालक के द्वारा संचालन संबंधित दिनांक 30/06/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **निष्कासित/सीमांकित** – आयोजित कलेक्टर, अभिभाग सारंगढ़ के द्वारा प्रमाण पत्र अनुसार मद्य संचालन निष्कासित/सीमांकित कर मार्किंग है।
3. **संचालन योजना** – संशोधित भाग प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि शाखा), जिला-गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक/411/खनि-8/2019 आदेश दिनांक 25/01/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – आयोजित कलेक्टर (खनि शाखा) जिला-बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक 3430/ख.नि.-1/मेसर्स सीलानी/2020 रायपुर, दिनांक 18/01/2020 के अनुसार आयोजित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य मेसर्स खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – आयोजित कलेक्टर (खनि शाखा) जिला-बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक 3430/ख.नि.-1/मेसर्स सीलानी/2020 रायपुर, दिनांक 18/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार संबंधित खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, अस्पताल, स्कूल, कुआं, राष्ट्रीय राजमार्ग, बस, क्रीड़ा, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र विद्यमान नहीं है।

6. **एस.डी.आई. का विवरण** – [illegible] कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–नागपुर के ज्ञापन क्रमांक 2002/ख.नि–1/रेत नीलामी/2019 नागपुर, दिनांक 26/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष होती है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा जिलेवार डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की अवधि प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी डाम–लाइन 0.8 कि.मी., रेलवे ट्रैक–लाइन 0.8 कि.मी. एवं अन्यलाइन ट्रैक–कवरेज 15.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 15.8 कि.मी. दूर है। पुल पुलिया से अधिकतम 365 मीटर एवं न्यूनतम 280 मीटर आरक्षित में स्थित है।

9. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – जनसेवकन प्रमाणपत्र द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पाल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 440 मीटर तथा खनन क्षेत्र की लम्बाई – 288 मीटर, चौड़ाई – 145 मीटर रखी गई है। खदान की नदी तट से दूरी न्यूनतम 45 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर उल्लेख की गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 80,000 एम.सी.एम. है। रेत खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर डंप-कम-वे उपलब्ध रेत भंडार की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे Pits खोदकर उपलब्ध तकनीकि गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसकी अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3 मीटर है। रेत की तकनीकि गहराई हेतु परामर्श भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में खनिज ग्राम निपानिया तहसील के गाम ने रेत खदान पट्टे क्षेत्र खसरा क्रमांक 236, क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर, लगभग– 80,000 एम.सी.एम. मात्रा हेतु बाया ग्राम पंचायत, तहसीलदार निपानिया प्रतिवेदन, खनिज विभाग द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/01/2014 के द्वारा जारी दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन के संबंध में कार्यालय को अनुपालन प्रस्तुत की गई है। गत्र अनुपालन विवरण प्रस्तुत नहीं की गई।

   iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–नागपुर के ज्ञापन क्रमांक 3081/ख.नि–1/रेत/2020 नागपुर, दिनांक 12/06/2020 के अनुसार वर्ष 2019–20 में 32,000 घनमीटर आवंटन किया गया है।

उक्त प्रमाण पत्र में वर्ष 2014-15 एवं 2016-17 के उत्पादन की पुष्टि नहीं की गई है।

iv. निर्धारित मानकानुसार प्रावधान नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत लदान की लेवलस** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रस्तावित स्थल के अगल-बगल तथा आस-पास में 500 मीटर की दूरी तक 20 मीटर मूल्य 25 मीटर के बिंदु बिन्दुओं पर दिनांक 20/02/2020 को रेत खनन के अधिकृत लेवलस (Levels) लेकर उनके सापेक्ष विभाग के प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, कार्यालय, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु कमेटी के समक्ष निम्नानुसार प्रावधान प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
39.50	2%	0.79	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Kachhar	
			Rain Water Harvesting System	0.5
			Running water facility for Toilets	0.2
			Plantation	0.1
			Total	0.8

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – कुल खदान में अधिकतम 365 मीटर एवं न्यूनतम 280 मीटर की चौड़ी पट्टी अपशिष्ट में छोड़ी है। नये माइनकाइन्स अनुसार कुल के मानचित्रीय में कम से कम 500 मीटर छोड़ना चाहते आवश्यक है। माइनिंग प्लान में अंकित कुल भूमि परिमाण 29,800 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य अधिकतम 11,200 वर्गमीटर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

16. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राप्तांकिता के आधार पर पट्टी पर कुल 2,000 नग पौधे – 1,000 नग आंवले के पौधे तथा शेष 1,000 नग जिसमें कनेर, बेल, अमरूद आदि पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

17. समिति द्वारा नोट किया गया कि प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उत्खनित रेत सामग्री की भरपाई करने के लिए प्रस्तावित स्थल पर खोदे गये गड्ढे (Pits) की प्रस्तुत फोटोग्राफ्स में रेत की उपलब्ध औसत भरपाई 1 मीटर प्रस्तावित की गई है। अतः खनिज में उपलब्ध रेत सामग्री की भरपाई करने के लिए कठोर निगरानी एवं फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत कार्यसूचि के निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

1. जिला वार्षी से किए गए अवलोकन की प्रायोजित मात्रा की जानकारी संबंधित विभाग से उपलब्ध कराकर प्रस्तुत की जाए।

2. वन उपयोग हेतु प्रस्तावित स्थान पर वर्तमान में उपयोग में लाए जा रहे भूखंड जहाँ के लिए प्रति हस्ताक्षर में लाभ हो उस एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी प्रायोजित गतिविधि का मानचित्र कर, संबंधित विभाग से उपलब्धित जानकारी प्रस्तुत की जाए। जो की प्रायोजित गतिविधि हेतु नवीन वनभूमि एवं परिपत्रकरण की प्रस्तुत किया जावे।

3. भारत निर्वाचन के उपयोग की ईकाई (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: **जीरो सुनवाई के पश्चात् प्राप्त आवेदनों का ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु निर्णय लिया जाना।**

1. **मैसर्स आरवा ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (अम्बिका ओपन कास्ट प्रोजेक्ट), ग्राम–कसाला, तहसील–पाली, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 470)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रकरण क्रमांक – एसईआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 166022/2018 दिनांक 25/06/2018 द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 12/02/2020 को ऑफलाईन से प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित माईनिंग लीज कोल परियोजना है। ग्राम–कसाला, तहसील–पाली, जिला–कोरबा जिला कुल क्षेत्रफल – 134.182 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। कोल माईन प्रस्ताव – 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष (मीलियन) एवं 1.35 मिलियन टन प्रतिवर्ष (लिंकेज) है।

एस.ई.सी.एल. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1062 दिनांक 23/11/2016 द्वारा कोल माईन प्रस्ताव – 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष (मीलियन) एवं 1.35 मिलियन टन प्रतिवर्ष (लिंक) हेतु टी.ओ.आर. (जीरो सुनवाई करिता) जारी किया गया था, जिसमें एस.ई.सी.एल. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/11/2019 द्वारा एक वर्ष की मियाद वृद्धि की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रस्तावक की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपस्थित कार्यसूचि के निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. जारी किए गये स्थल प्रभाव विश्लेषण का प्रारूप प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

2. लोक सुनवाई में जेपाके एवं मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना प्रस्तुत की जाए।

3. कोल के परिवहन की व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।

5. प्रावधान की जाने हुए वृक्षों की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाए। प्रावधान हेतु कार्यप्रणाली प्रस्तुत की जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण प्रबंधन पूर्ण कार्यवाही / प्रस्तावित प्रबंधन कार्यप्रणाली के साथ आगामी माह की अनुमोदित बैठक में प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एमपीएसईबी, छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 29/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 32वी बैठक दिनांक 29/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोज कुमार प्रसाद, वरिष्ठ तकनीकी हेड श्री जीएस टाटावी महाप्रबंधक (पर्यावरण) उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रों, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई -

1. परियोजना से 440 परिवार प्रभावित होंगे, जिनका अतिपूर्ति राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है। अभिलेख में 213 परिवारों को अतिपूर्ति प्रदान की गई है तथा शेष 227 परिवारों को अतिपूर्ति प्रदान की जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

2. **भूमि का विवरण** – कुल लीज 134.182 हेक्टेयर है, जिसमें लेनचो क्षेत्र 132.407 हेक्टेयर एवं सायलोज/अन्य भूमि 1.775 हेक्टेयर है। वन भूमि नहीं है। कोयली क्षेत्र 88.20 हेक्टेयर, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र 1.78 हेक्टेयर, एक्सटर्नल ओवर बर्डन डम्प 25.329 हेक्टेयर एवं लेनची बैल्ट क्षेत्र 17.88 हेक्टेयर है। जिस लाइसेंस क्षेत्र पूरा में अनुसार रि-कल्टिवेट इन्टरनल डम्प कैपेसिटी दर्शाया 11.72 हेक्टेयर, वहीं कोयली 37.68 हेक्टेयर रि-कल्टिवेट एक्सटर्नल ओवर बर्डन डम्प क्षेत्र 25.329 हेक्टेयर है। भूमि भारत सरकार के कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 के तहत अधिकृत की गई है।

3. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – नगरपालिका लोकहरी सड़क लगभग 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। रिहायशी बेसड स्टेशन लगभग 30 कि.मी. की दूरी पर है। हवाईअड्डा 3 कि.मी. दूर है। रेलवे स्टेशन 6 कि.मी. दूर है।

4. **माईनेबल कोल रिजर्व** – कुल माईनेबल कोल रिजर्व की मात्रा 7.6 मिलियन टन है। खदान की अनुमानित आयु 8 वर्ष है, जिसमें इस वर्ष डिवेलपमेंट कार्य शामिल है। इसके अतिरिक्त 3 वर्ष की माइन क्लोजर प्लान प्रस्तावित की गई है।

5. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावित कुल 10 कि.मी. की परिधि में अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य संरक्षित प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र, इको सेंसिटिव जोन, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या पारिस्थितिकीय क्षेत्र स्थित नहीं होना अभिलेखित किया है।

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण** – [illegible] स्प्रिंकलर [illegible] की जायेगी। बायोमिटिक वास्ट के निपटान हेतु नियमित जल छिड़काव किया जाएगा।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – उद्यान के उपरान्त औद्योग्य भवन [illegible] कुल परिमाण 81.72 हेक्टेयर प्रस्तावित है। कुल [illegible] भवन की लम्बाई 24 मिलियन [illegible] होगी। भराई हेतु अधिसूचना 2020 के पश्चात 3 मनमीटर के स्थान 1 मनमीटर भराई हेतु की नियमानुसार [illegible] प्रस्तावित है, जिसकी लम्बाई 2 मिलियन टन भराई हेतु का आयोजन होगा।

10. **कचरा परिवहन की व्यवस्था** – [illegible] के अंदर का परिवहन [illegible] किया जाएगा। प्रस्तावित कूड़ा-परिवहन हेतु स्थानीय के अनुसार [illegible] की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इसका वितरण [illegible] के निर्माण [illegible] का परिवहन [illegible] से किया जाएगा।

11. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

   - **जल आपूर्ति एवं स्रोत** – परियोजना हेतु 225 मनमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होगी। जल का उपयोग भवन [illegible] से किया जाना प्रस्तावित है।

   - **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – भवन डिस्चार्ज जल के प्रबंधन हेतु [illegible] का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। [illegible] जल प्रदान नहीं होगा [illegible] है। परंतु दूषित जल के उपयोग हेतु [illegible] ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – कुल क्षेत्रफल 17.89 हेक्टेयर के उपयोग क्षेत्र की सीमा से [illegible] और 7.5 मीटर की पट्टी में 45,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**–

   i. **जल एवं वायु आदि पूर्वावस्था संबंधी जानकारी** – परियोजना जल अप्रैल 2017 से जून 2017 (Summer season) में किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 2 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. परियोजना परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 15 से 35 माइक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 42 से 98 माइक्रोग्राम/घनमीटर, एस.ओ.$_2$ 8.87 से 22.5 माइक्रोग्राम/घनमीटर तथा एन.ओ.$_x$ 17.8 से 37 माइक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्तर की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 48.5 डेसीबल से 49.2 डेसीबल एवं ध्वनि स्तर (Night time) 39.8 डेसीबल से 42.9 डेसीबल पाया गया।

12. लोक सुनवाई दिनांक 11/10/2018 दोपहर 1:00 बजे ग्राम पूर्व नगरपालिका सदन, अंबिकापुर जिले कलेक्ट्रेट सिलमिलाकर-पाली सलीजा-पाली जिला-कोरबा में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई [illegible] राजस्व अधिनियम, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, गवा उपायुक्त अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 19/11/2018 द्वारा अंकित किया गया है।

13 जनसुनवाई के दौरान कुछ बिन्दु के निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

i. मेसर्स अडानी ओपन कास्ट कोल माईन्स सुरजन ने प्रभावितों को नौकरी पुनर्वास एवं अन्य सुविधाओं का पूर्ण विवरण देंगे। तथा प्रशासनिक से कार्य लोगों को नौकरी मिल सके।

ii. पारदर्शी जनसुनवाई में मौजूदा क्षेत्र आता है, यहां आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों पर प्रबल अधिकारों के तहत विचार करते हैं।

iii. माइन्स चलते जाने के उपरान्त 25-06 लाख मानकीय पेड़ की लगाई किये जाने की आवश्यकता है, जिससे पर्यावरण पूर्ण रूप से प्रभावित होगा।

iv. माइन्स की खुदाई से 25 से 30 किलोमीटर की परिधि तक प्रभावित कृषकों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

v. माइन्स के बाहर और छोटे बड़े नदी, नाले हैं, जिनमें निरन्तर बहाव होने के कारण जल स्तर काफी अच्छी स्थिति में रहता है, जो कि अधिकतम प्रभावित किसानों की जीवन की एकमात्र सुविधा है। खदान खुलने से कृषकों को सिंचाई एवं अन्य जिलाधिकारियों से निकट भविष्य में सुचना नहीं, जिसकी कार्यवाई किया जाना लगता नहीं है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक का कथन एवं प्रस्तावित कार्ययोजना संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:-

i. अडानी ओपन कास्ट परियोजना हेतु अधिग्रहित निजी भूमि के एवज में 100 रोजगार भारत इंडिया के दिशा निर्देश के अनुरूप एवं जे.आर.आर.(सी) द्वारा अनुमोदित है, इसके अतिरिक्त प्रभावित भू-स्वामियों को रोजगार की व्यवस्था नहीं रखता है, उनके प्रति एकमुश्त 05 लाख रूपये की दर से विशेष मुआवजा प्रदान की जायेगी; जो कि न्यूनतम 30 हजार रूपये होगी।

ii. खदान क्षेत्र की कोयला धारक (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अर्जन किया गया है। क्षेत्र में कोयले की मात्रा एवं भूमि के आय को देखते हुए यह आवश्यक है कि यह परियोजना प्रारंभ की जाये।

iii. प्रस्तावित परियोजना हेतु कुल 10,583 वृक्ष की कटाई किया जाना प्रस्तावित है, इसकी एवज में अन्य विभाग राज्य सरकार द्वारा अन्य कृषि भूमि के प्रावधान किया जायेगा, इसके अलावा परियोजना द्वारा आगामी वर्षों में इस क्षेत्र का पुनः पुनर्वास कराया जायेगा।

iv. खदान क्षेत्र की 10 किलोमीटर परिधि में आने वाले क्षेत्र में एकीकृत व जन जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन एवं क्रमिक रोपणों हेतु समस्याओं हेतु तकनीकी अध्ययन का ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाई गयी है, निराकरण माइन्स परियोजना प्रबंधन द्वारा किया जायेगा।

v. परियोजना प्रारंभ होने से निकट क्षेत्र से गुजरने वाले छोटे बड़े नदी, नाला एवं प्रभावित प्रभावों को कम करने हेतु आवश्यक उपाय किये जायेंगे। खदान से उत्पन्न जल को सेटलिंग टैंक व किसान पोंड का माध्यम से जलधार मानसून निकट भविष्य क्षेत्रों में निस्तारण एवं सिंचाई हेतु आपूर्ति की जायेगी; इसके अतिरिक्त मानसून काल में एकत्रित पानी उपयोग खदान से कोयला काटने समाप्ति बाद। निकट भविष्य क्षेत्रों में सिंचाई कार्य हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा।

14. भौतिकीय कार्य केवल 8 स्थानों पर 3 किलोमीटर की परिधि में किया गया है, जबकि भौतिकीय 10 किलोमीटर की परिधि के फल के कम 8 स्थानों पर किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार अनुमोदित अधिकारण प्रस्ताव लेकिन कन्स्ट्रक्शन वाहि प्रदूषण की गणना में परिवहन से होने वाले प्रभाव का आकलन नहीं किया गया है।

15. माइन वास्ट की मात्रा एवं इसके उपयोग हेतु प्रस्तावित माइन मल्प की क्षमता का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी प्रकार गाड़ू दुर्गित जल के उपयोग हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता एवं विभिन्न यूनिट्स का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपखनित माइन डोर का निस्तारण सम्बन्धित जल में किया जाना बताया गया है। लीज क्षेत्र की बनावट से भाग उपखनित क्षेत्र बताया गया है तथा गहराई 8 मी. है। उपखनित माइन डोर का निस्तारण किये जाने से भूमि की जल की गुणवत्ता का विपरीत प्रभाव नहीं होने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

16. चलाई ऐक्ट का अनुपालन केवल डेड. विभिन्न में किया जाना बताया गया है, जबकि चलाई ऐक्ट अधिसूचना 2020 के अनुसार चलाई ऐक्ट का अनुपालन एक्सप्लोसिव ऑपरेट करने वाले के साथ भी किया जाना आवश्यक है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भूमि भारत सरकार के केन्द्रीय अधिनियम (अर्जन एवं विकास) अधिनियम 1957 के तहत अर्जन की गई है। अतः भूमि हेतु PESA Act 1996 के तहत अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

18. भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/08/2019 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का प्रावधान प्रस्तुत नहीं किया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. 10 किलोमीटर की परिधि में फल के कम 3 अतिरिक्त स्थान एवं फैसिलिटीज जिन्हें एन.ओ.सी. दिए गए हैं, पर 3 स्थानों की अतिरिक्त फैसिलिटीज की जांच तथा यथानुसार आकलन किया जाए। इसी प्रकार 3 स्थानों पर ट्रांसमि एवं उच्च गुणवत्ता की भौतिकीय लक्ष्य यथानुसार आकलन किया जाए। साथ ही परिवहन से परिवहित धातु एवं वायु गुणवत्ता का आकलन कर गणना प्रस्तुत की जाए।

2. लीज क्षेत्र के समीप प्रस्तावित रामगढ़ वाटर ट्रीटमेंट प्लान (Fast water drain) पर उपखनित माइन डोर का निस्तारण किये जाने से जल की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव नहीं होने के संबंध आकलन विवरण प्रस्तुत की जाए।

3. माइन डोर की मात्रा उपयोग हेतु प्रस्तावित व्यवस्था, साथ ही दुर्गित जल के उपयोग हेतु प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता एवं विभिन्न यूनिट्स का विवरण प्रस्तुत किया जाए।

4. चलाई ऐक्ट अधिसूचना 2020 के अनुसार चलाई ऐक्ट का अनुपालन एक्सप्लोसिव ऑपरेट करने वाले के साथ किये जाने का तकनीकी आकलन एवं प्रावधान प्रस्तुत किया जाए।

5. लीज क्षेत्र में अवस्थित 10.383 मा. वृक्षों की कटाई किये जाने हेतु क्षतिपूर्ति के साथ लीज क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. भूमि अवाप्ति अधिनियम के अंतर्गत अवार्ड (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1997 के तहत अर्जित किसी अन्य गैर भूमि हेतु PESA Act, 1996 के तहत अनुमति की आवश्यकता नहीं होने के संबंध में शासन द्वारा जारी आदेश/निर्देश की प्रति उपलब्ध की जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक का उपरोक्त समस्त पूर्व कार्यवाही / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक की तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स इस्पात इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बकर्रा, तहसील–लवलपुर, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 760)**

ऑनलाईन आवेदन – एसआईए/सीजी/सीएआईएन/83252/2018 दिनांक 23/06/2020।

प्रकरण का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–बकर्रा, तहसील–लवलपुर, जिला–बिलासपुर जिला खसरा क्रमांक 753/1, 756/1, 756/2, 759/3, 758/4, 758/1, 759/1, 759/4, 759/7, 794/1, 757/4, 735/(ख) से 735/1, 757/3, 754/(2) से 754, 755, 787, 782/(2) से 782, कुल रकबा – 7.00 हेक्टेयर (18.48 एकड़) में प्रस्तावित कोल सीजनी (लिंट, लाइम, कोल सीजनी) इस्पात–C.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्यालय ईआईए निदेशालय में तथा आवेदन किया गया है। परियोजना का विवरण नीचे 22 पन्नों में है।

पृष्ठ 8 एस.ई.ए.सी. सदस्यों के पत्र दिनांक 06/05/2019 के द्वारा कोल सीजनी के–1 कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी कोल सीजनी का कटेगरी सी.आर.आर. (नॉन सुपरवाईज सहित) ईआईए रिपोर्ट बनाने हेतु जारी किया गया था।

जिन सुनवाई दिनांक 19/02/2020, दिन बुधवार, समय 12:00 बजे, स्थान ग्राम–बकर्रा, महावीर नगर सीजनी, बेलमुरी के मुख्य द्वार से लगभग तहसील–लवलपुर, जिला–बिलासपुर में सम्पन्न हुई। जिन सुनवाई प्रसारण वाराणसी, छत्तीसगढ़ प्रदूषण नियंत्रण मंडल, रायपुर के पत्र दिनांक 12/02/2020 द्वारा प्रेषित किया गया है। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ईआईए रिपोर्ट पत्र दिनांक 22/06/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक की एस.ई.ए.सी. प्रस्तोता के प्रारूप दिनांक 23/06/2020 द्वारा अनुशंसार्थ हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/06/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विजय कुमार जैन, आर्किटेक्ट एवं श्री मोनी जैन उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्शे, प्रस्तुत आपत्तियों का अवलोकन एवं चर्चा के पश्चात निम्नवत निर्णय पाई गई–

1. यह प्रस्तावित परियोजना एक फेज टाइप कॉलोनी है, जो ऐसी विभिन्न आवासीय इकाइयों का आवंटित होगी। ग्राम–मालवी, तहसील–रायपुर, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 753/1, 756/1, 756/2, 756/3, 756/4, 758/1, 759/1, 759/4, 759/7, 796/1, 797/4, 795/(ख) से 735/1, 797/3, 794/(ख) से 794, 755, 797, 782/(ख) से 782, कुल क्षेत्रफल 7.88 हेक्टेयर (19.49 एकड़) में प्रस्तावित है।

2. **निकटवर्ती स्थित विकासखण्डों सम्बन्धी जानकारी** –

   - विकासखण्ड आबादी ग्राम–मालवी 1.5 कि.मी. एवं बिलासपुर शहर 11.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। विकासखण्ड रेलवे स्टेशन मालवी 8.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय हाईवे 6 कि.मी. है। बायपास जैन 2.5 कि.मी., पाली नदी 3 कि.मी., संजीवनी नदी 6.5 कि.मी. तथा अमानत नदी 5.3 कि.मी. की दूरी पर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या सांस्कृतिक धरोहरों/स्मारकों आदि नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. नदी तथा नाला क्षेत्र के रेखांकन का मानचित्र प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

4. **लेण्ड एरिया कंटेम्प्लेट** – भूमि श्री विजय जैन, आर्किटेक्ट, मेसर्स इन्नोवेटर इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है। कॉलोनी प्लाट 3.9 एकड़, सी–कॉलोनी, सामुदायिक भवन, कॉमर्शियल एवं सिविलवाटर यूनिक कार्ड 4.5 एकड़, अन्य परिसंपत्ति (आंतरिक मार्ग, एम्यूनिटी, सर्विस लाइन आदि) 2.45 एकड़ एवं ग्रीन बेल्ट 8.64 एकड़ (44.33 प्रतिशत) में प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 19.49 एकड़ (7.88 हेक्टेयर) है।

5. **पी–कॉलोनियां** – पी–कॉलोनी 0.38 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन किया जाएगा। पावर कंपनी 0.382 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं सिविलवाटर यूनिट 0.108 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन होगा। पी–कॉलोनी एस.ई.बी.एल. कंपनी के माध्यम से बिजली विद्युत आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है।

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कॉलोनी कंस्ट्रक्शन, सीमेंट क्रेशर एवं स्टोन क्रेशर एवं मशीन मशीनरी से होने वाले प्रदूषण नियंत्रण के साथ ग्रीन बेल्ट की व्यवस्था किया जाएगा। हमारी कॉलोनी कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल को ढका जाकर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों ओर 3 मीटर ऊंची पक्की बाउन्ड्री वॉल का निर्माण कर सकते ऊपर 3 मीटर ऊंची ग्रिल जैसे स्टील शेड का भी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फाउंटेनिंग डस्ट सप्रेशन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

7. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था** – योजना रिपोर्ट अनुसार 0.198 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि कचरा एकत्रित

के उपरान्त निविदाएं की मैसर्स पूनम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–पूनूक, जिला–रायपुर, महाराष्ट्र में स्थापित कोल सिंक्रनटस बेस्ड थर्मल पॉवर प्लांट में उपयोग हेतु विक्रय किया जाएगा। उक्त पॉवर प्लांट में सी.एफ.बी.सी. बॉयलर (CFBC Boiler) स्थापित है। वर्तमान में उक्त्रोत से एल.डी.आई. किया गया है तथा भविष्य में स्थायमान उपयोग एम.डी.पी. (MDP) किया जाएगा।

- **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

  - **जल उपयोग एवं स्रोत** – प्रस्ताव में लगभग 2000 किलोलीटर प्रतिदिन एवं उच्च घनिष्ठ (लो ग्रेड एवं मिक्सर) में 20 किलोलीटर प्रतिदिन जल प्राप्त परंतु उपयोग एवं पुनर्चक्रण से 20 किलोलीटर प्रतिदिन जल प्राप्त होगा। इस प्रकार कुल 2040 किलोलीटर प्रतिदिन जल उपयोग होगी। औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल की आपूर्ति नहर में प्रस्तावित जलाशय (Dam) क्षमता–35.0231.00 घनमीटर प्रतिवर्ष तथा परियोजना के लगी हुई स्थान के भूमि में प्रस्तावित कैप्टिव रिजर्वायर क्षमता–25.7320.0 घनमीटर प्रतिवर्ष से किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त जलाशय की कुल क्षमता–60.8300 घनमीटर प्रतिवर्ष है। परियोजना से लगी हुई स्थान के भूमि में प्रस्तावित कैप्टिव रिजर्वायर के उपयोग हेतु अनुमति के लिए उपायुक्त महोदय जिलाध्यक्ष जांजगीर चांपा, जिला–बिलासपुर में आवेदन किया गया है, जो कि प्रक्रियाधीन है। परंतु प्रयोजन हेतु जल की आपूर्ति कंपनियों के द्वारा जांच प्रस्तावित है। भूमिगत जल उपयोग हेतु अनुमति सक्षम प्राधिकारी से आवेदन किया जाना बताया गया है जो कि प्रक्रियाधीन है।

  - **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – उत्पादन द्वारा फेंक कोयला एवं अवशिष्ट राख सीमेंट फैक्टरी को स्थानांतरित किया जाएगा। वाशरी यूनिट सीटर सिस्टम व्यवस्था की जाएगी। प्रक्रिया के उपरान्त दूषित जल के उपयोग हेतु सिंकलर, सीवर ट्रेंच एवं मल्टीलेयर पॉन्ड की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल का उपयोगानुसार उपचार उपरांत पुनः प्रक्रिया में तथा परिसर के भीतर प्लांटेशन में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। परंतु दूषित जल के उपचार हेतु लीकेज प्रूफ पॉन्ड क्षमता–30 किलोलीटर की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। कोयला प्रोसेसिंग प्लांट में मेकेनिकल वर्कशॉप, सीवर सिस्टम, अप्रोच रोड एवं रोड ट्रेस, इलेक्ट्रोस्टाटिक प्रेसिपिटेटर, प्रोसेस मेकेन्ट्री मल्टीफिकेशन, डिमिनरलाइजेशन हेतु अल्ट्रावायलेटलाइट की व्यवस्था, डी.एम. प्लांट, एवं एक्टीवेटेड कॉर्बन फिल्टर लगाया जायेगा। सुरक्षा नियंत्रण की नियमित जांच की जाएगी।

  - **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजनाएं स्थल पेट्रोल कारखाना उत्पादन कोर्ड के अनुसार सभी निर्धारित मानक में आता है। विवरण अनुसार–

    (अ) पुराने एवं भरपाई तालाबों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

    (ब) कारखाना उत्पाद निकासी हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल निकासी की आधार पर भू–जल निकाले जाने की

अनुमति मंडल कार्यालय भटेर कोई द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के अनुसार ग्राम पंचायत/टाउन एरिया के अन्तर्गत आता है केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 07/01/2016 अनुसार **Over exploited, critical and semi-critical assessment** वाले में स्थापित इकाइयों/ढांचागत यूनिट एवं नाइट्रेट प्रोसेसिंग को भू-जल उपयोग की अनुमति नहीं दिया जाता है, फलस्वरूप परियोजना द्वारा औद्योगिक कार्य हेतु भू-जल का दोहन कर उपयोग उपयोग उक्त प्राधिकरण की अनुमति के अभाव में किया जा सकेगा।

8 **रैन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 36,823 घनमीटर है। रैन वॉटर हार्वेस्टिंग किये जाने के लिए आवश्यक जल निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। रैन वॉटर हार्वेस्टिंग का उपयोग कार्य प्रक्रिया के संचालन हेतु किया जाना प्रस्तावित है।

9 **विद्युत संयंत्र एवं स्थापित** – परियोजना हेतु 800 के.वी.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति पावरग्रिड एवं विद्युत वितरण कम्पनी से की जाएगी।

10 **वृक्षारोपण कार्य** – कुल संयंत्र में से लगभग 3.9 हेक्टेयर (44.33 प्रतिशत) में 30 मीटर ग्रीन बेल्ट का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

11 **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** :- परियोजना कार्य 16 दिसम्बर 2018 से 31 मार्च 2020 के मध्य किया गया है। 16 कि.मी. के अन्तर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 05 स्थानों पर भू जल गुणवत्ता मापन, 08 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 03 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 08 स्थानों पर मिट्टी का नमूना इकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

12 परियोजना परियोजना के अनुसार पी.एम.$_{10}$ 142 से 346 माइक्रोग्राम / घनमीटर, पी.एम.$_{2.5}$ 34.6 से 55.6 माइक्रोग्राम / घनमीटर, एसओ$_2$ 8.4 से 18.8 माइक्रोग्राम / घनमीटर तथा एनओ$_x$ 11.8 से 25.8 माइक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परिवेशीय वायु गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परियोजना स्थल पर दिन के समय 38.8 डीबीए से 56.1 डीबीए एवं रात के समय 37 डीबीए से 47.9 डीबीए पाया गया। परियोजना स्थल के आसपास ध्वनि गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुरूप है।

14 आगामी कार्यों का ट्रांस-टू-ट्रेन एक्सीकरण किया जाएगा। मल्टीलेयर ट्रेन बनाया जाएगा।

15 अनुसूचीकरण के दौरान परियोजना प्रबंधक द्वारा बताया गया कि लाइव कोल का परिवहन 30-40 प्रतिशत तक सड़क मार्ग से एवं 60-70 प्रतिशत तक रेलवे से तथा बी-कोल का परिवहन पूर्ण रूप से सड़क मार्ग से किया जाएगा।

16 फर्नेस बॉयलर प्रवेश द्वारा गर्म सीमेंट टी.डी. कीलन सिस्टम के माध्यम से वातावरण में छोड़ने वाले गैसों पर निगरानी रखी जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि डी-कोल, वाइट कोल एवं सिमेंटकारा के बने सभी उत्पाद ठीक ढंग से बन पाते हैं। प्रवेश द्वारा पर कोल डीप सिस्टम की व्यवस्था करना प्रस्तावित है, जिससे धूलकणों से होने वाले वायु प्रदूषण नियंत्रित हो सके।

17 जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–

i. प्रस्तावित कोल सीवरी परियोजना द्वारा भूगर्भ की फटान प्रस्तावित होने का परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित भूकंपों से क्या स्थायित्व दी जायेगी।

ii. प्रस्तावित कोल सीवरी परियोजना के कारण भारी डम्पर के चलने से ध्वनि प्रदूषण व भी धूल दुर्घटना नहीं होने हेतु कार्यान्वयन आई जाये।

iii. प्रस्तावित कोल सीवरी परियोजना से आस–पास के खेत खलिहान, बागीचे, नदी, तालाब, जीव–जन्तु, भवन एवं प्राकृतिक प्रभाव पड़ेगा।

iv. प्रस्तावित कोल खानों परियोजना के तहत कोल सीवरी द्वारा प्रदूषण नियंत्रण की क्या व्यवस्था की जायेगी? क्या–क्या उपकरण लगाये जायेंगे।

v. प्रस्तावित खदान के प्रभावित क्षेत्रों के भूगर्भ / भिन्नित वेदनाओं की सर्वेक्षण में सम्मिलित कराया जाये।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में उत्तरीय प्रबंधन का कथन एवं प्रस्तावित कार्ययोजना संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:–

i. उत्तरीय प्रबंधन द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि कोल सीवरी की स्थापना से किसी भी भाग प्रदूषण की स्थिति निर्मित नहीं होगी। कृषकों की उपजाऊ भूमि प्रभावित नहीं होगा। यदि कभी आकस्मिक दुर्घटना के बाद भी भूगर्भ की फटान का भूकम्पन होता है तो प्रभावित लोगों से वार्तालाप कर इसे निकाला जायेगा।

ii. प्रस्तावित कोल खानों परियोजना से या कोल / लोहा कोल / निर्माणाधीन को तालाबंदिन से–कम पूरे वाहनों से द्वारा परिवहन किया जायेगा। वाहनों से दुर्घटना के रोकथाम हेतु प्रहरी की भर्ती की निर्माण किया जाएगा।

iii. प्रस्तावित कोल खानों परियोजना से आस–पास के खेत खलिहानों, बागीचों, नदी, तालाब, जीव–जन्तु, भवन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इसलिए कोल खान इकाई, कोयले केवल एवं स्टोन क्रेशर में धूल एकत्रीकरण सिस्टम के साथ बेग फिल्टर की स्थापना की जायेगी। सभी कोल कन्वेयर बेल्टों को ढंका जाकर बेग फिल्टर लगाया जायेगा। साथ ही डम्पर कार्यस्थल / कन्वेयरिंग डम्पर लोडिंग के नियंत्रण हेतु वृहद छिड़काव की जायेगी। वायुमंडल तथा के चारों ओर 50 मीटर की चौड़ाई तक लगाकर वृक्षारोपण किया जायेगा।

iv. प्रबंधन द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि आवश्यकतानुसार मानकों के आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

18 **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 01/06/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) मद्दे समिति की सभा विचार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation

		Rupees)		(in Lakh Rupees)
			Following activities at Nearby Government Schools and Hospitals **Village-Amsena, Sakarra and Belmundi**	
2,200	2%	44	Rain Water Harvesting System, Potable Drinking water Facility, Running water facility for Toilets, Solar Lighting System, Plantation	44
			Total	**44**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि स्थल विशेषता के आधार पर सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–सकरा, तहसील सकरारा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 751/1, 735/(ब) से 735/1, 754/(ब) से 754, 755, 756/1, 756/2, 756/3, 756/4, 757/4, 757/3, 758/1, 759/1, 759/4, 759/7, 762/(ब) से 762, 796/1 रकबा कुल प्रस्तावित – **7.88** हेक्टेयर (19.49 एकड़) में प्रस्तावित वनों (वनों) (वि.ट.पा. आरक्षित वनों) क्षमता–0.99 मिलियन टन क्षमता हेतु **परिशिष्ट–05** में उल्लिखित शर्तों के अधीन सशर्त पर्यावरण स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

उक्त मत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन नियमावली, 2006 के अनुसार, छत्तीसगढ़ को अग्रेषित किया जाए।

एजेण्डा आइटम क्रमांक–4:	**गौण/खनिज खनिजों/औद्योगिक परियोजना/कन्स्ट्रक्शन/अन्य परियोजना संबंधी प्रकरणों की जानकारी / दस्तावेज प्राप्ति उपरांत विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।**

4. मेसर्स श्री सतीकांत साहू (खाता नंबर 1 से 5, ग्राम–कलार, तहसील व जिला–कांकेर), बेकुंठ पटेल सिलाई, जिला–दुर्ग (मंत्रालय का भरती क्रमांक 1126)

ऑनलाईन आवेदन – प्रस्ताव नम्बर – एसईआईए / सीजी / एमआईएन / 136464 / 2019 दिनांक 12/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित है कि खसरा क्रमांक [illegible], ग्राम कलार, तहसील व जिला–कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 1251 कुल क्षेत्र 5

[illegible] के प्रस्तावित है। उत्खनन [illegible] से किया जाना प्रस्तावित है। [illegible] की अनुमोदित उत्खनन मात्रा–[illegible] घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 3वीं बैठक दि.सं. 04/02/2020

समिति द्वारा प्रस्तावित की गयी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्पश्चात **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि–**

1. प्रस्तावित स्थल का नियमानुसार मूल, बॉर्ड, एन्कैप्ट एवं अन्य आनुषंगी बकाया की पूरी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. वैध उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अन्तर्गत तथा आसपास में 100 मीटर की दूरी पर कोई हेक्टेयर 4 किलोमीटर का क्षेत्र क्षेत्रफल, सहित में वैध खान के लेवल्स **Levels** लेकर क्षेत्र वैध रूप से प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवल्स **Levels** हेतु कम से कम 3 लेण्डमार्क बॉर्ड **(Concreted TBM structure)** निर्धारित किये जाये। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) के अपडेट, को-ऑर्डिनेटस **(Co-ordinates)** अंकित किये जाये। सिंह बेंच में टेम्परारी बेंच मार्क **(TBM)** को भी डाइमेन्शन, उचित वानिकी विभाग से प्रमाणीकरण सत्यता फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
3. वैध उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर पर्यावरण में संरक्षण वैध की गतिविधि जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक मड्डा **(Pit)** खोदकर पानी की वास्तविक गहराई का पता कर, वानिकी विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। वैध की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि कुछ क्षेत्र आरक्षित वनों पर खनन हेतु वनों का पर्यावरण संरक्षण नियमावली अधिनियम (एन.ई.आई.ए.), क्षेत्रीयस्तर अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), क्षेत्रीयस्तर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो कुछ में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अभिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कुलयोग की उत्खनन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खनन कुछ से संबंधित है, तो जिला वनों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
7. क्षेत्र वीरा से निकटतम उस क्षेत्र की वास्तविक कुछ मात्रा जानकारी हेतु उस विभाग से जारी प्रमाणित प्रमाण पत्र (प्रमाणपत्र) प्रस्तुत किया जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के का.ज्ञा. दिनांक 01/05/2018 के अनुपालन की ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रावधान प्रस्तुत किया जाए।
9. समिति निरीक्षण एवं परिवीक्षण प्रस्तावक को खनन से पेट की लेवल्स **Levels** की तरह सर्वेयर **(Surveyor)** के द्वारा जनवरी माह की आयोजित बैठक में उपलब्ध समस्त सूचनाएं जानकारी / दस्तावेज उत्खनन फोटोग्राफ सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

अनुसार खनि निकासी एवं परिवहन अनुमोदन को एम.ई.ए.पी., मंत्रालय में क्रमांक दिनांक 22/02/2020 द्वारा अनुमोदनार्थ हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 313वीं बैठक दिनांक 25/03/2020

अनुमोदनार्थ हेतु की गयी योजना अधिकृत अधिनियमित एवं की गई कार्यवाही, खनि निकासी लाइसेंस हेतु। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में सरपंच पंचायत पंचायत का दिनांक 08/04/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **निस्तारित/शीघ्रनिष्ठ** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान निस्तारित/शीघ्रनिष्ठ पाई पाया है।
3. **खनन योजना** – अनुमोदित प्रमाण प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी जिला-स्तर, कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक 808/खनिज/खनि मा.अनु/2019-20 कार्यालय दिनांक 10/01/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-स्तर कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक 8557/खनिज/ले(मुअ)/2018-20 कार्यालय दिनांक 10/01/2020 के अनुसार अनुमोदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदान की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/सड़कमार्ग** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-स्तर कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक 808 सी/खनिज/ले(मुअ)/2019-20 कार्यालय दिनांक 10/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार खदान क्षेत्रफल से 200 मीटर की परिधि के भीतर में सार्वजनिक क्षेत्र जैसे सड़क, स्कूल, अस्पताल, राष्ट्रीय पुल, रोड, क्षेत्र, इमारत, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं उच्च अदालत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एन.डी.आई. का निरसन** – एन.डी.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-स्तर कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक 878/खनिज/ले (किन्नी-सोनकन)/2019 कार्यालय दिनांक 08/01/2020 द्वारा जारी की गई निरसनी आदेश 3 वर्ष हेतु वैध है।
7. कार्यालय वन संरक्षक/सहायक कलेक्टर कार्यालय जिला-कलेक्टर के ज्ञापन क्रमांक/सं.वि./2020/5407 कार्यालय दिनांक 24/03/2020 की जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार खदानों क्षेत्र वन भूमि की सीमा से दूरी 5 कि.मी. रोहनगढ़ अभयारण्य 100 से 180 कि.मी. एवं कालेर टाटी अभयारण्य 285 से 300 कि.मी. है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्गत प्रारूप के डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आवासीय क्षेत्र/बस्ती 2.5 कि.मी. एवं अस्पताल/स्कूल 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कि.मी. दूर है। अधिकृत रेल संरचना के अन्तर्गत में 1,320 मीटर की दूरी पर स्थित है।

10 **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बाघ/गज प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र, प्रस्तावित जिरिबाम नेशनल हेरिटेज, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र विद्यमान नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11 **खनन स्थल पर नदी के तट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के तट की चौड़ाई – अधिकतम 224 मीटर, न्यूनतम 225 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 124 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी 113 मीटर बताई गयी है। अनुमोदित माईनिंग प्लान में नदी तट से दूरी 10 मीटर बताई गई है। उपरोक्त खदान जो सीमा की नदी तट से न्यूनतम दूरी, नदी के तट की चौड़ाई का 50 प्रतिशत होनी चाहिए।

12 **खदान स्थल पर रेत की गहराई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,28,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में पानी भरा हुआ है। गहराई ज्ञात करने के लिए प्रति हेक्टेयर में 4 कम से कम गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का ज्ञात कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। विवरण अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 3 गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत स्तर की गहराई पाये जाने के आधार पर वर्तमान में रेत की औसतन गहराई 2.8 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु उपग्रह भी प्रस्तुत किया गया है।

13 **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**–

i. पूर्व में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत खरसाम द्वारा ग्राम के रेत खदान खसरा क्रमांक 131, क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, क्षमता-15,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु किया जाकर पर्यावरण प्रभावित निर्धारण अधिनियम, नियम-2006 कार्यालय द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 28/06/2018 के द्वारा जारी दिशानिर्देश के 5 दिवस हेतु जारी की गयी थी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। गत अवलोकन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

iii. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कर पत्र प्रस्तुत नहीं की गई है।

iv. निर्धारित मानचित्र पुनरीक्षण नहीं किया गया है।

14 **खदान क्षेत्र में रेत स्तर के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 पिट्स की दिर कराकर वर्तमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) द्वारा दिनांक 21/02/2020 को रेत स्तर के लेवल्स Levels लेवल, उसी खनिज विभाग से प्रमाणीकरण पश्चात फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – माननीय उच्चतम न्यायालय, पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/06/2016 के अनुपालन सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विवरण के संबंध में निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है –

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 52.5	2%	Rs. 1.05	Following activities at Nearby Government Girls School Village-Charanra	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.64
			Running water Facility for Toilets	Rs. 0.20
			Plantation work with fencing	Rs. 0.30
			Total	Rs. 1.14

समिति द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावों को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह के अन्दर प्रस्तुत किया जाए।

17. उत्तर प्रदेशान्तर मैनुअल विधि से एम.एल.डी. का कार्य अधिक द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

18. अनुमोदित माईनिंग प्लान में नदी तट से किनारे से दूरी 10 मीटर बतायी गई है, जबकि नदी के तट की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी होनी चाहिए। वास्तव स्थल पर नदी के तट की चौड़ाई औसतन 347 मीटर है। अतः नदी के तट की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी को मैप माईनिंग क्षेत्र घोषित कर नया प्लान प्रस्तुत की जानी होगी। साथ ही वृक्षा लगाने की आधार पर माईनिंग प्लान में संशोधन कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्पश्चात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. नदी के तट की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी को मैप माईनिंग क्षेत्र घोषित करते हुए मैप माईनिंग क्षेत्र की गणना की जाए। मैप माईनिंग क्षेत्र एवं माईनिंग क्षेत्र का रीवाइजन कर संशोधित विवरण के अनुमोदन कराया जाए तथा संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए।
2. पूर्व में प्रस्तावित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के कार्यों पर व्यय के की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. जिला पर्यावरण के लिए गए उल्लंघन की पारदर्शिता लाने की कार्यवाही समिति विवरण में प्रदर्शित कर कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव में प्रस्तुत किया जाए।

एस.ई.आई.ए.सी. उत्तरीकरण की 21वीं बैठक दिनांक 29/02/2020 में समिति के परिपालन प्रस्तावक द्वारा चर्चित जानकारी 05/03/2020 को प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/06/2020

समिति द्वारा नदी, उपखण्ड अन्वेषणों का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (तकनीक शाखा) जिला-उदयपुर बनाम कलेक्टर के आदेश क्रमांक/ (ए0/बी)/ खनिज/ जिला(उ)/ 2020 आदेश दिनांक 11/09/2020 के अनुसार नदी तट से खनन क्षेत्र 30 मीटर पर स्थित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस हेतु संशोधित गाइडलाइन चार्ट की प्रति प्रस्तुत की गई है। जिसमें नदी तट से दूरी 30 मीटर बताई गई है। अतः नये माइनिंग क्षेत्र की गणना किया जाना आवश्यक नहीं है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विधिवार पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-उदयपुर बनाम कलेक्टर के आदेश क्रमांक/ 1246/ खनिज/ जिला(उ) अधिकार)/ 2019-20 आदेश दिनांक 18/03/2020 के अनुसार पूर्व में गलत मंजूरियां जारीकर्ता के नाम से 112 हेक्टेयर खनन क्रमांक 12, क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर, खनन-31,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण आकलन निर्देशित प्राधिकरण, जिला-उदयपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 02/08/2018 को जारी दिनांक से 10 वर्ष हेतु जारी की गयी थी, जिसमें केवल उत्खनन की मात्रा 30,834 घनमीटर है।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रावधान में प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की आख्याकी प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

एस.ई.ए.सी. उदयपुर की 322वीं बैठक दिनांक 18/06/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपेक्षित आख्याकी 29/06/2020 को प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 29/05/2020

समिति द्वारा नदी, उपखण्ड अन्वेषणों का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विधिवार पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार-
   i. शर्त अवलोकन नहीं किया गया है।
   ii. निर्धारित मानचित्रण प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमतित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का सम्मिलित नहीं किया गया है। महाशाखी बड़ी नदी है तथा इसमें पर्याप्तकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. प्रस्तावित खदान (ग्राम-धारनाथ) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में संरक्षित/संवेदनशील इकाइयों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से दुगुने कम होने के कारण यह खदान श्रेणी-B श्रेणी की मानी गयी।

2. **पर्यावरण भार** – प्रायोजकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,500 ना. मीटर – 1,250 ना. बायीं ओर तथा शेष 1,250 ना. (लगभग कटरा धाम आम आदि) दोनों तरफ लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त खुले स्थानों पर 750 नए पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक नेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) कराए जाने आवश्यक रेत उत्खनन का नदी गतिशील, स्थानीय जलगतिकी पर एवं कुल जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन के पूर्व खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। जलाशय सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 मुना 25 मीटर के अन्तराल (Grid) में किया जाएगा।

   ii. रेत खनन के उपरान्त कालखण्ड के पूर्व (यह माह के अंतिम सप्ताह / पूर्व) में समुचित लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अन्तर्गत एवं उपरान्तरित में 100 मीटर क्षेत्र तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार डेस्ट-कालखण्ड में रेत उत्खनन प्रारम्भ करने के पूर्व भाद अवधि इसी चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलों (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलों (Levels) के मापन का अगले आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। तीसरे-कालखण्ड के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं दो-कालखण्ड के आंकड़े अप्रैल 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा निरंतर किन्तु उपयुक्त सर्वेक्षणादि से की सकीकरण हेतु खसरा नम्बर 131, ग्राम-धारनाथ, तहसील व जिला-बलिया, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 75,000 मेट्रिक टन अधिकतम रेत उत्खनन हेतु **परिशिष्ट-D0** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति अगले दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई मशीनों द्वारा (Manually) की जाएगी। फिट नेट (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से अतिरिक्त पानी तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जायेगा।

कृपया सदर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), लखनऊ को तत्काल सूचित किया जाए।

2. ग्राम–नवली–खुर्दी, खालसा, मेहेसरा, पथरिया, तहसील–धमदा, जिला–दुर्ग के निम्न प्रस्तावित प्रस्तावकों द्वारा संयुक्त ई.आई.ए. रिपोर्ट में संशोधन कर दिनांक 18/05/2020 को प्रस्तुत किया गया है:–

क्र.	खदान का नाम एवं पता	प्रस्तावित क्षेत्रफल	लीज होल्ड (हेक्टेयर)
1	[illegible] ग्राम–नवली–खुर्दी, तहसील–धमदा, जिला–दुर्ग	45259	2.00
2	[illegible] ग्राम–खालसा, तहसील–धमदा जिला–दुर्ग	49468	4.92
3	[illegible] ग्राम–मेहेसरा तहसील–धमदा, जिला–दुर्ग	46479	2.23
4	[illegible] ग्राम–नवली–खुर्दी तहसील–धमदा जिला–दुर्ग	46461	1.45
5	[illegible] ग्राम–नवली–खुर्दी, तहसील–धमदा, जिला–दुर्ग	46413	3.11
6	[illegible] ग्राम–नवली–खुर्दी तहसील–धमदा, जिला–दुर्ग	49532	4.51
7	[illegible] ग्राम–नवली–खुर्दी तहसील–धमदा, जिला–दुर्ग	49550	1.62
8	[illegible] ग्राम–मेहेसरा, तहसील–धमदा, जिला–दुर्ग	49549	5.23
9	[illegible] ग्राम–मेहेसरा, तहसील–धमदा, जिला–दुर्ग	49524	4.00
10	[illegible] ग्राम–नवली–खुर्दी तहसील–धमदा, जिला–दुर्ग	49862	1.025
11	[illegible] ग्राम–नवली–खुर्दी तहसील–धमदा जिला–दुर्ग	49877	1.569
12	[illegible] ग्राम–नवली–खुर्दी तहसील–धमदा, जिला–दुर्ग	49799	4.40
13	[illegible] ग्राम–मेहेसरा तहसील–धमदा जिला–दुर्ग	24527	3.87
14	[illegible] ग्राम–नवली–खुर्दी, तहसील–धमदा, जिला–दुर्ग	49526	2.21
15	[illegible] ग्राम–पथरिया, तहसील–धमदा, जिला–दुर्ग	24815	3.47
16	[illegible] ग्राम–पथरिया तहसील–धमदा, जिला–दुर्ग	25549	2.16
17	[illegible] ग्राम–खालसा, तहसील–धमदा, जिला–दुर्ग	25439	1.80

समिति की 328वीं बैठक दिनांक 29/05/2020

समिति द्वारा सभी प्रस्तुत प्रस्तावों का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न टिप्पणी पाई गई:–

1. समिति द्वारा उपरोक्त परिपोषण प्रकरणों के पूर्व क्षेत्र में पृथक-पृथक जानकारी चाही गई थी। परिपोषण प्रकरणों द्वारा उक्त वांछित बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. मूल परिपोषण प्रकरणों द्वारा लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर गेप के पूर्व गेप में उपयोग किया गया है। उक्त क्षेत्र का माह दिसम्बर 2020 तक पूर्ण किये जाने हेतु उनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. संशोधित पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुसार निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने का शपथ पत्र द्वारा कथन शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परिपोषण प्रकरणों की आगामी माह के आयोजित बैठक में उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त कुमियां जानकारी / शपथपत्र सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परिपोषण प्रकरणों को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–4 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से क्रम विषय।

1. मेसर्स महावीर कोल कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरगहनी, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर (समिमालय की नस्ती क्रमांक 1222)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एमपीसीए/ सीजी/ एमएफ/ 41827 / 2020 दिनांक 02 / 03 / 2020)

प्रकरण का विवरण – परिपोषण प्रकरणक द्वारा ग्राम–खरगहनी, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक पार्ट आंक 79 / 1, 78, 96, 80, 81, पार्ट आंक 82, 84, 86, 87, पार्ट आंक 55, 56, 58 / 1, 58 / 1, 59 / 2 कुल क्षेत्रफल – 14.74 एकड़ में सीमेंटेड कोल टोकरी – 0.96 मिलियन टन क्षमता के क्षमतावर्धन की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु रिजोल्यूशन शामिल आयोजन किया गया है। परिपोषण का प्रस्तावित विनिर्देश क्रमशः 22 पन्नों में रखा।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18 / 05 / 2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्पश्चात **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि–**

1. उक्त टेक्नोलॉजी स्थापित के संयंत्र के साथ कोल टोकरी स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल की पर्यावरणीय संवेदनशीलता की दृष्टि से कार्यान्वित किये जाने की जानकारी प्रस्तुत करें।
2. प्रदोषण से संबंधित इकाईवार (यदि कोई हो) हेतु सम्बन्धित पर्यावरण संरक्षण संगठन द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जावे।
3. भूमि संबंधित सर्वमान्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत की जावे।

4. प्रस्तावित मास्टर प्लान अवस्थापना एवं अन्य मास्टर आर्किटेक्चर अवस्थापना का विवरण (स्थान एवं लाइन सहित) प्रस्तुत की जाये।

5. दूषित जल हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुनःचक्रण की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाये।

6. ठोस अपशिष्ट निपटान व्यवस्था, सहूलियतें तथा अवसंरचना व्यवस्था (ई-टॉयलेट, शौचालय ब्लॉक, सिंगल यूज प्लास्टिक के परिवहन तथा पूर्ण परिवहन व्यवस्था (स्टाफ / रोड मार्ग) का विवरण प्रस्तुत की जाये।

7. लोक अपशिष्ट (सिंगल यूज प्लास्टिक एवं कचरा स्वरूप) के निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाये।

8. प्रस्तावित कार्यों एवं संचालन के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाये।

9. ई-कार्ट में प्रस्तावित इन्फ्रास्ट्रक्चर को दर्शाते हुये इन्फ्रास्ट्रक्चर की संख्या तथा संरचना का विवरण प्रस्तुत की जाये। इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु कार्टोग्राफ प्रस्तुत की जाये।

10. सम्पूर्ण मास्टर प्लान अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना प्रारम्भ होने तिथि/क्रिटिकल अवस्था क्रिटिकल अवस्था तक जोन की आवंटित आर्थिक जानकारी प्रस्तुत की जाये। प्रारम्भ मास्टर प्लानिंग करने हेतु सीएल फायर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाये।

उपरोक्त परियोजना प्रस्तावों को एनआईसी, मंत्रालय के द्वारा दिनांक 21/09/2020 द्वारा अनुपालन हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/09/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विशाल जैन, आर्किटेक्ट एवं श्री सोनी जैन, प्रेजीडेंट उपस्थित हुए। समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि यह प्रकरण समिति की 326वीं बैठक दिनांक 01/08/2020 में सूचीबद्ध है। अन्तर्विभाग जानकारी के साथ रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया। समिति द्वारा भवनों, प्रस्तुत जानकारी का आलोचन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

   - निकटतम आबादी ग्राम-जमाड़ा 1 कि.मी., मंडुआ ग्राम-खजरोला 3 कि.मी., अस्पताल अपनी रोड 6 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन कि.मी. 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। नजदीक नदी/नाला 3 कि.मी. है। अन्य नदी 6 कि.मी. दूर है।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षित प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय सेंसिटिवीटी क्षेत्र या घोषित वेटलैंड्स क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. **लेक्स एरिया स्टेटमेंट** – मास्टर प्लान का कुल 16.37 एकड़ है, जिसमें जोनवार 2.46 एकड़ ई-कॉमर्स, आर्मर कॉलर, मैन्युफेक्चरिंग एवं रिटेलिंग मर्चेंट मार्ट 2.95

एकड़, अन्य बेसिलिटी 1.47 एकड़, शेष भूमि 0.75 एकड़ एवं सीन बैल्ट 0.25 एकड़ (36.4 प्रतिशत) में प्रस्तावित है।

3. प्रस्तुतीकरण में तीन परिशिष्टता प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कुल में कोल बीयरिंग 14.74 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया जाना प्रस्तावित था। इसमें प्रोसेसिंग में निर्धारित ले-आउट के पार्किंग क्षेत्र व टी-कोल प्रस्तावित क्षेत्र तक भूमि की सीधाई बना रहने के कारण बचाव की भूमि 1.83 एकड़ को शामिल कर ले-आउट प्रस्तुत किया गया है।

4. **खनन संबंधी जानकारी**–

खनिज	खसरा नं.	क्षेत्रफल (एकड़ में)
ग्लास सैंड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड	65(पार्ट), 66, 68/1, 68/2, 78, 79/2(पार्ट) आदि कुल 07.	15.04
अनुसूचित भूमि	58/1, 79/1(पार्ट), 81, 82(पार्ट), 84, 85, 86/2(पार्ट) एवं 83/1(पार्ट)	5.75

5. **टी-सेटलिंग** – टी-कोल 0.90 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन किया जाएगा। साथ कोल 0.792 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं मिडिलिंग कोल 0.108 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। टी-कोल एफ.ई.सी.एल. परियोजना के खदानों दीपका, गेवरा एवं कुसमुंडा में अनुसूचित किया जाना प्रस्तावित है। खदान से दीपका तक टी-कोल का परिवहन सड़क मार्ग से डंपर द्वारा बहाली द्वारा किया जाएगा। दीपका से रायगढ़ कोल एवं सिंडिकेट का परिवहन सड़क मार्ग से डंपर द्वारा बहाली द्वारा किया जाएगा।

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल क्रशर इकाई, सेटरी क्रशर इस स्थित इकाइयों में प्रभावी धूलनियंत्रण सिस्टम के साथ बैग सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। सभी कोल कन्वेयर बेल्ट्स को ढंका जाकर बैग सिस्टम से संयोजन कर 30 मीटर ऊंची चिमनी से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। तथा इकाईयों के गाइडिंग पोल का उपयोग 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाएगा। परिसर के चारों ओर 3 मीटर ऊंची सदाबहार वृक्ष का निर्माण भी बैग गन के साथ 5 मीटर ऊंची वर्तमान स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही इकाई संचालन / अनुसूचित इकाई परिवहन के नियंत्रण हेतु पक्का निर्माण की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

7. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था** – संयंत्र से निकलने वाला 0.108 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल एसबी के उपयोग किलेक्ट्स की अलग-अलग साथ पहाड़ी एवं अन्य उद्योगों को बेचने की बात है उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल स्रोत एवं खपत** – लगभग 250 किलोलीटर प्रतिदिन प्रोसेस हेतु जल प्राप्त होगा। जल कोल कोलोनी होगा। पूर्वनिर्धारित जल उपयोग हेतु अनुमति योजना प्रस्तुत कराकर सीटर अथॉरिटी से आवेदन किया जाना प्रस्तावित है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – उद्योग द्वारा छूटने वाले अपशिष्ट कोल पोंड़ी स्थापित किया जाएगा। अपशिष्ट छूट सीटर किलोल व्यवस्था की

जाएगी। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु विकल्प, केवल ईवा एवं सेटलिंग पोंड को अपनाया किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक उपयोग के उत्पन्न दूषित जल का नियमानुसार उपचार उपरान्त पुनः प्रक्रिया में तथा परिसर के भीतर वृक्षारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। पेयजल दूषित होने के उपचार हेतु सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट की स्थापना की जाएगी। शून्य निस्तारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार रेड जोन में आता है। निम्नवत अनुपालन–

  (अ) पुराने एवं लगभग उपयोगी हो चुके के रूप में अ० प्रतिष्ठान दूषित जल का पुनः उपयोग एवं पुनःचक्रण किया जाना है।

  (ब) वाटरशेड मैनेजमेंट निर्माण हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल फीड रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकासी लेने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने तक आवश्यक है। अतः उक्त तथ्य पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

9. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाएगा।

10. **विद्युत खपत एवं स्रोत** – परियोजना हेतु 1,500 के.वी.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति पावरग्रिड नगर विद्युत वितरण कम्पनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 2 नुमा 650 के.वी.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकोस्टिक इन्क्लोजर से आच्छादित किया जाएगा।

11. **पुनर्वास की स्थिति** – पूरा क्षेत्रफल में से 4.24 एकड़ (36.4 प्रतिशत) में सिर्फ पेड़ का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। कोई नगर 15 मीटर क्षेत्र वाली का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

12. कॉल सीवरी की व्यवस्था हेतु 3 श्रेणी (ग्राम–अवस्थित, ग्राम–नियमानुसार एवं ग्राम–बेलगान) का आवंटन किया जाना प्रस्तावित गया है। कॉल सीवरी की स्थापना के लिए ग्राम–बेलगान में स्थल का प्रयोग किया अवसर का किया गया है, इस संबंध में दस्तावेज उपलब्धता प्रस्तुत की गई है।

13. प्रस्तावित में पक्का भूमि पर कोई उत्खनन स्थापित नहीं होना बताया गया है।

14. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एन.ई.सी.एल. की नेपाल, सीपाट एवं कुसमुण्डा खदान से डी-कोल का परिवहन पूर्ण रूप से सड़क मार्ग से एवं छोटा कोल का भी सड़क मार्ग से किया जाएगा। सड़क मार्ग से पाकड़ कोल एवं सीपाट निरंतरता का परिवहन आवश्यकता के उपरांत ही किया जाएगा।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु सीनिटाइजिंग का कार्य दिनांक 01/03/2020 से 31/05/2020 तक निर्धारित किया गया था। कोविड-19 के नियंत्रण प्रभाव होने के कारण सीनिटाइजिंग का कार्य दिनांक 25/03/2020 से 14/04/2020 तक नहीं किया जा सका। अतः उक्त सीनिटाइजिंग दिनांक 21/06/2020 तक किया जाएगा।

16. समिति द्वारा नोट किया गया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु बाय लाईन डाटा कलेक्शन निरंतर एक सीजन तक किया जाना आवश्यक है। कोविड-19 की परिस्थितियां प्राप्त होने के कारण मॉनिटरिंग का कार्य दिनांक 25/03/2020 से 14/04/2020 तक नहीं किया गया है। अतः उक्त मॉनिटरिंग में निरंतरता नहीं होने के कारण उस सीजन में की गई मॉनिटरिंग का मान्य किया जाना संभव नहीं है। समिति द्वारा नये सीजन में मॉनिटरिंग किए जाने के लिए निर्देशित किया गया।

समिति द्वारा विषय विषयों तथा उक्त कार्यवाही से प्रकरण डी-1 कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधि. 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ईएमपी रिपोर्ट और प्रोसेसिंग/एक्सट्रैक्टिव रिसोर्सेज इन्फ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी अथवा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित बेसिक 2(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बेसिक सुचनाएं सहित) कोल वॉशरी क्षमता-0.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष फेट टाईप हेतु जारी किए जाने की अनुशंसा निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ की गई-

i. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report for new season.

ii. Project proponent shall submit details of ETP & STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition.

iii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

iv. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

v. Project Proponent shall submit NOC from Central Ground Water Authourity for use of ground water.

vi. Project Proponent shall submit NOC mentioning the distance from the boundary of Achanakmar Tiger Reserve to the proposed washery site from Competent Authourity of Tiger Reserve.

vii. Project Proponent shall submit layout earmarking atleast 20m wide green belt all along the pheriphery of the project area.

viii. Project Proponent shall submit ownership / possession of land documents and procurement of additional land as proposed during TOR presentation.

ix. Project Proponent shall submit proposal regarding transportation of raw coal, clean coal and reject through rail as maximum as possible.

उपरोक्त संबंध पर्यावरण प्रभावांकन रिपोर्ट तैयार करने (टर्म ई.आई.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

(परमेश्वर हिरवानी)
सदस्य सचिव
राज्य स्तर विशेषज्ञ आकलन समिति
छत्तीसगढ़

(धीरेन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष
राज्य स्तर विशेषज्ञ आकलन समिति
छत्तीसगढ़

पेसर्स श्री सत्यम साहब, श्री कोट(ए) शेख महबूब को खसरा क्रमांक 1/1, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर, ग्राम-कोट(ए), तहसील-करहाल, जिला-धौलपुर-राजस्थान (म.प्र.) में क्रोक नदी से रेत उत्खनन क्षमता 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति पांच वित्तीय वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. **बाद अध्ययन (बिफोर एंड आफ्टर स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत बाद अध्ययन (Bifation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) कार्य सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, जलीय जीव, जलीय वनस्पति, जीव एवं स्थल जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त बाद अध्ययन (बिफोर एंड आफ्टर स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जायेगा।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी कलस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 4 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार उत्खनन से रेत का अधिकतम उत्खनन 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खनन के पूर्व माइनिंग लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक के नदी सतह के लेवल्स (Levels) भी लिए जायेंगे। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। प्रस्तावित सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुणा 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जायेगा। रेत खनन के उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून) में माइनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व साथ अध्ययन इसी ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जायेगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जायेगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एम.ई./आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
6. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। लिज़र बेड में भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में सिर्फ रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग पाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जायेगा।
7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हित, सीमांकित एवं प्रोबित क्षेत्र में ही किया जायेगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा जलीय जल स्तर की उपरी सतह,

[illegible] से अधिक नहीं होगी। इस का वृक्षारोपण किसी भी परिस्थिति में तटबंध के पीछे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 3 मीटर चौड़ाई तक की सभी नदी तल (बाढ़ क्षेत्र) के ऊपर रोपण जाना आवश्यक है।

8. इस वृक्षारोपण नदी नाली के कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 50 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो सुनिश्चित की किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए वृक्षारोपण नदी की सीमा से न्यूनतम 30 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी पुलिया, स्टाफ्लेन, बाध, एनीकट, जल प्रपात, मनोरंजन एवं अन्य कार्यों संरचनाओं से न्यूनतम 250 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

9. यह सुनिश्चित किया जाए कि इस वृक्षारोपण से बाढ़ नदी जल का वेग प्रतिरोधित एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि वृक्षारोपण कराते समय न किया जाए जिससे तथा पिछले आस-पास के क्षेत्र पर पड़ने वाले जैव-वायु प्रदूषण हेतु निषेध न हो। नदी के वृक्षारोपण इकाईयों / क्षेत्रों का सर्वेक्षण आवश्यक है बाद इन क्षेत्रों के आस पास ही वृक्षारोपण नहीं किया जाए।

11. इस वृक्षारोपण एवं भराई / परिवहन दिन के दौरान ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के दौरान नहीं किया जाए।

12. परियोजना प्रबंधक द्वारा इस वृक्षारोपण विभिन्न जाति वाला औषधि / अन्यान्य आदि से वृक्षारोपण होने वाले पारिस्थितिक तथा पर्यावरण के नियंत्रण हेतु उपयुक्त चयन प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, ठोस जल निकासी अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। इस वृक्षारोपण क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्स्थापना तथा संरक्षण पर्यावरण जल और जल वायु परिवर्तन, संरक्षण, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होने चाहिए।

13. इस का परिवहन सम्बन्धित अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से करने हुए वाहन से किया जाए ताकि वेग वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन का कार्य सायंकाल की अवधि से अधिक नहीं रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. वृक्षारोपण क्षेत्र में भूमि प्रदूषण न हो यह सुनिश्चित किया जाए।

15. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 से नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर बीज होने के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस तथा अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,500 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा इसके अतिरिक्त 700 नग पौधे पहुँच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त आवरण (क्या कंटीदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

16. भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.50	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Kot (Ra)	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Potable Drinking water Facility	0.40
			Running Water facility for Toilets	0.40
			Plantation	0.20
			Total	1.50

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का कार्यान्वयन निदेशक उद्यमता एवं कार्य विभाग एवं राज्य में अधिकारी स्तर से प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही का राज्य में अधिकारी स्तर से पूर्ण किया जाए।

18. पर्यावरण प्रभावित क्षेत्रों / राज्य सरकार के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से कोई उपयुक्त आदेश होने के पूर्व आवेदक फर्म अनुमोदित करना होगा। पर्यावरण प्रबन्धक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण रक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र / राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

19. राजस्थान पोल खनिज नियम 2013 राज्य सरकार द्वारा कि उपबन्धन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के आधार/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना का सख्त सुनिश्चित किया जाए।

20. कार्य स्थल पर यदि कोई अधिक कार्य पर लगाये जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास सहित समस्त पर्यावरण प्रबन्धक द्वारा की जाएगी। आवश्यक पर्याप्त अस्थायी व्यवस्थाओं का कार्य में ले सकती है, जिसे पर्यावरण पूर्ण होने के पश्चात हटाया जा सके।

21. श्रमिकों के लिए उपयुक्त स्थान पर स्वच्छ पेयजल, शिविरस्थलीय सुविधा, मेडिकल-एयरकेयर आदि की व्यवस्था पर्यावरण प्रबन्धक द्वारा की जाए।

22. श्रमिकों का समय-समय पर आवश्यकतानुसार हेल्थ चेकिंग कराया जाए।

23. उपरोक्त की तकनीकी कार्य योजना एवं अनुमोदित उपरोक्त योजना के अनुसार खनिज योजना में किसी भी बदलाव का परिवर्तन एम.ई.आई.टी.ए. राजस्थान / केन्द्र सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

24 इस पर्यावरणीय स्वीकृति का जारी करना अ आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार प्रदान का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / नियमों के सम्पालन हेतु अधिकृत करता है।

25 एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अधिनियम की धारा 15 के परिपालन अथवा निर्धारित शर्तों के सन्तोषजनक ढंग से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन / निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा पर्यावरणीय / निवारण के मापदंडों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

26 परियोजना प्रबन्धक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में इस बात का परियोजना क्षेत्र के आस-पास प्रमुख स्थान से प्रकाशित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सम्बन्धित छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट **www.envfor.nic.in** एवं एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट **www.seiaatg.org** पर भी किया जा सकता है।

27 पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही का आधे वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, इस क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।

28 एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

29 परियोजना प्रबन्धक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अक्षरशः का से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1974 तथा प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इसके तहत बनाये गये नियमों, पर्यावरण अपराधिक (प्रक्रम संचालन एवं दण्डादेश) नियम, 2003 (तथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (तथा संशोधित) के अधीन निर्धारित की जा सकती है।

30 प्रस्तावित परियोजना के बारे में एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ ने प्रदूषण नियंत्रण में लगे हो नियंत्रण अथवा परिवर्तन होने की दशा में एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः संशोधित जनसुनवाई सहित सूचित किया जाए ताकि एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़

इस पर विचार कर शर्तें जो अनुकूलता अथवा गठित करें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। साथ ही प्रोजेक्ट के विकास अथवा सम्पादन एस.ई.आई.ए.ए., हरियाणा / भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

३. हरियाणा पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उपायुक्त अम्बाला कार्यालय, जिला–पंचकूला एवं शहीद भगत सिंह एवं कन्वेंशनल/तहसीलदार कार्यालय के 30 दिवस की प्रदर्शन के लिए प्रदर्शित करेंगे।

४. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

परिशिष्ट–ख

मेसर्स श्री अमित जैन (डी–1 मसूरी) मेन्ड माईन्स
को खाते अधिक खसरा क्रमांक 502, कुल क्षेत्र 5 हेक्टेयर, ग्राम– मसूरी, तहसील–चकराता, जिला–देहरादून–मसूरी (उ.प्र.) में बहानदी से रेत उत्खनन मात्रा 60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक वैध अवधि हेतु वैध है।

2. **गहन अध्ययन (सिमटेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के अन्तर्गत 1.2 वर्ष में विस्तृत गहन अध्ययन (Situation Study) कराकर नदी तल के पुनर्भरण (Replenishment) कार्य, नदी अभिकर्ष, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, नदीतीय अपरदन, तीव्र ढ़ाल युक्त क्षेत्रों पर अथवा नदी के घटते की मुख्यतया पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त की जाये। उक्त गहन अध्ययन (सिमटेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही अगली अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्थित है तो खदान का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होगा तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

4. उत्खनन क्षेत्र 4 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के पूर्व खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तल के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी तल के स्तर (Levels) का सर्वे 25 मुना 25 मीटर के ग्रेडिंग (Grid) में किया जायेगा। रेत खनन के उपरान्त मानसून के पूर्व निम्न तल के अंतिम सर्वेक्षण / मूल्यांकन के पश्चात खनन क्षेत्र तथा क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तल के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित चिह्नित बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार मानसून में रेत उत्खनन प्रारम्भ करने के पूर्व तथा अनुभव इन्हीं चिह्नित बिन्दुओं पर रेत तल के लेवल्स (Levels) का पाया किया जायेगा। रेत तल के पूर्व निर्धारित चिह्नित बिन्दुओं पर रेत तल के लेवल्स (Levels) के मापन का सर्वे अगली 3 वर्ष तक निरन्तर किया जाएगा। मेसर्स मानसून के अनुसार दिनांक 2020, 2021, 2022 एवं डी मानसून के आधार पर 2020, 2021, 2022 तथा अभिलेख का ले एन्ड आई.टी.ए., चण्डीगढ़ की प्रस्तुत किए जायेंगे।

6. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए किसी उपकरण मशीन (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। निर्धारित क्षेत्र में मशीनों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। खनन क्षेत्र में निकाल रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) में अतिरिक्त पानी तथा रेत का अधिकतम ढ़ेर टीलों द्वारा किया जाएगा।

7. रेत का उत्खनन केवल निर्धारित, सीमांकित एवं चिह्नित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1.5 मीटर अथवा उपलब्ध जल-स्तर की ऊपरी सतह, दोनों में से जो कम हो के अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति

के ऊपर खनन के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर गहराई तक की रेत नहीं तल खोदे बीच के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटों से 100 मी. के कम 7.5 मीटर अथवा नदी की गहराई से 5 प्रतिशत की दूरी पर भी अधिक हो सकेगा ही किया जाएगा, ताकि नदी तट का कटाव न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 110 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी पुलिया, बाधपुल, बांध, एनीकट, जल प्रपात, तटबंध एवं अन्य सरकारी संरचनाओं से न्यूनतम 250 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी तल का रेत रहित होने तथा जल बहाव के कारण पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास की क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। वन्यजीवों के प्रजनन इकाइयों / क्षेत्रों का संरक्षण कार्यपालक के अतः इन क्षेत्रों के भीतर पाया रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

11. रेत उत्खनन एवं भण्डारण / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। रात करने सहित के कारण नहीं किया जाए।

12. परियोजना प्रबन्धक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रणाली तथा सहित / अन्यान्य आदि से उत्पन्न होने वाले अवशिष्ट कचरा निस्तारण के निमित्त हेतु उपयुक्त स्थल सुरक्षित निस्तारण व्यवस्था तथा उक्त विवरण अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में उत्पन्नीय वायु को पुनःप्रयोग भाग सकेगा, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. रेत का परिवहन ओवरलोडिंग अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से कर दूर तक रेत किया जाए जिससे रेत उत्खनन से कटान नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कम से कम मात्रा की मात्रा से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. उत्खनन क्षेत्र में कोई प्रदूषण न हो यह सुनिश्चित किया जाए।

15. **पारमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2025 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 300 नग प्रति हेक्टेयर जीव क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, शीशू, आम, इमली, सीसम आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 2,000 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा इसके अतिरिक्त 700 नग पौधे पहुँच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (पशु कार्टेटर तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रबन्ध वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

16 भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रावधान का कार्य किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
39.58	25%	0.79	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Gidhpuri	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Potable Drinking water Facility	0.15
			Running water facility for Toilets	0.15
			Plantation	0.10
			Total	0.80

17 सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का कार्यान्वयन नियमानुसार अथवा एवं कार्य विभाग एक माह में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. के तहत निर्माण प्रगति रिपोर्ट 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

18 परियोजना प्रबन्धक संबंधित केन्द्र / शाखा कार्यालय के विभागीय कर्मचारी एवं अन्य कर्मचारी के रूप में कार्यरत्त होने के पूर्व आवश्यक रूपी अनुमोदित प्राप्त करेंगे। परियोजना प्रबन्धक द्वारा उक्त एप्स तथा अनुमोदन निर्माण स्थल पर्यवेक्षण संबंधित हेतु समय-समय पर केन्द्र/शाखा कार्यालय, क्षेत्रीय अनुमोदन निर्माण योजना / पर्यावरण संबंधित संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / गाईडलाईन्स का पालन सुनिश्चित किया जाए।

19 उत्तरांचल पेय पदार्थ नीति 2015, राज्य सरकार द्वारा पेय पदार्थों हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/5/2006 के प्रावधानों / शर्तों एवं समयानुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित प्रावधान योजना एवं पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

20 यदि कार्य पर यदि कोई अभिव्यक्ति कार्य पर लगाये जाते है तो ऐसे अभियों के अलावा अधिक प्रावधान परियोजना प्रबन्धक द्वारा की जायेगी। आवश्यक मानक अवधारी कर्मचारियों के कार्य में ली जायेगी है, जिससे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात बचाया जा सके।

21 परियोजना के लिए वाहन कार्य पर कार्यरत पर्यावरण विभिन्नताओं, कुशिक्षा, मौसमदान दायित्व आदि की सामान्य परियोजना प्रबन्धक द्वारा की जाए।

22 परियोजना का समय-समय पर आवश्यकतानुसार निरीक्षण कराया जाये।

23 उत्तरांचल की तकनीकी, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित प्रावधान योजना के अनुसार तकनीक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. क्षेत्रीयकार्य / शाखा

मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

24 इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार प्रदान करना नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी विधि सम्मत्ति को सुपुर्दगी पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय अनुपूर्ण / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

25 एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से परियोजना की क्षमता में परिवर्तन अथवा विशिष्ट शर्तों के संशोधन करने की शक्ति न होने की दशा में किसी भी शर्त के निरसन/शिथिल करने अथवा नई शर्त आरोपण अथवा उपबन्ध/नियमों की मनमानी करे और लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

26 परियोजना प्रबन्धक/मुख्यालय के स्थानीय कार्यालय पर्यावरण, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास आयोजन क्षेत्र में प्रकाशित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि परियोजना का पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ अधिकारियों, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका आवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seaacg.org पर भी किया जा सकता है।

27 पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भारत सरकार अटल नगर, नया रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।

28 एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण कार्य / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के अधिकारियों / अभिकर्ताओं को शर्तों के अनुपालन के संबंध में वे जब चाहें मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

29 परियोजना प्रबन्धक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। वे सभी जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1981 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गए नियमों, पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना (प्रक्रिया सम्पादन एवं सीमाबद्ध संचालन) नियम, 2006 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (तथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन करेगा।

[illegible]

20. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विसंगत अथवा परिवर्तित होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन उपबंधों सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। वहाँ पर भी कोई भी विसंगत अथवा उल्लंघन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

21. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल साइट पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-जांजगीर एवं चांपा केन्द्र एवं कलेक्टर / तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

22. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स गोदावरी कालीन रेता (एम–2 ब्लॉक–2 लीज) माईन की पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर, ग्राम– बिलासी, तहसील–कसडोल, जिला–बालौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) में महानदी से रेत उत्खनन क्षमता 60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. राज्य पर्यावरण समीक्षा समिति द्वारा विचारोपरान्त ही यह पत्र जारी किया जा रहा है।

2. **माइनर अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक को खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माइनर अध्ययन (Siltation Study) कराकर, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) कार्य को सही आंकड़े, रेत उत्खनन का सही मात्रा, नदीतल स्थानीय अपरदन, जीव एवं वृक्ष जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त की जाये। पूर्ण माइनर अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जायेगा।

3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी खनकर्म में है, अथवा खदान क्षेत्र के भौतिक स्वीकृत रेत भण्डारों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति लेना नहीं होगी।

4. उत्खनन क्षेत्र 4 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खनन के उपरान्त कालमून के पूर्व (नई बाढ़ के अंतिम सीमाएं / छोर) में गहरीनिम क्षेत्र क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा उपरान्त क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों क्षेत्र) में 500 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तलहटी के स्तरों (Levels) का कार्य पूर्व निर्धारित किए बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व तथा कार्यपूर्ण इसी दिन बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलन (Levels) का कार्य किया जायेगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित किए बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलन (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जायेगा। प्रीमून–मानसून के आंकड़े दिनांक 2020, 2021, 2022 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक परियोजना स्थल से एस.ई.आई.ए.ए. प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जायेंगे।

6. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए किसी उत्खनन मशीन (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। किसी क्षेत्र में गहरी खुदाई का प्रयास प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में किसी भी खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से न्यूनतम पचास मीटर तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर द्वारा नहीं किया जाएगा।

7. रेत का उत्खनन केवल निर्धारित, सीमांकित एवं संरक्षित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर गहराई तक की रेत नदी तल छोड़ी जाकर जल जीवों के आवास छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. पेड़ वृक्षारोपण नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई से 10 प्रतिशत जो दूरी अधिक हो परिरक्षित की जिया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए वृक्षारोपण नदी की सीमा से न्यूनतम 232 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी पुरातात्विक महत्वपूर्ण स्थल, इमारत, 200 मीटर के दायरे में स्थित अन्य स्मारकों/संरचनाओं से न्यूनतम 200 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोड़ना पालन अनिवार्य है।

9. यह सुनिश्चित किया जाए कि पेड़ वृक्षारोपण के कारण नदी जल का फ्लो, टर्बिडिटी एवं जल स्तर के स्तरण पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि वृक्षारोपण कार्यक्रम नदी क्षेत्र में किया जाए जिसमें लगे पिलरों, क्षेत्र-पथ की क्षेत्र पर अड़ी की तीन-चार्टू प्रत्यक्ष हेतु निषेध न हो। नदीतटों के प्रत्यक्ष इमारतों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास पेड़ वृक्षारोपण नहीं किया जाए।

11. पेड़ वृक्षारोपण दूर भराई / वनीकरण दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि में कदापि नहीं किया जाए।

12. परियोजना प्रबंधक द्वारा पेड़ वृक्षारोपण विभिन्न प्रकारों जैसे प्रतिरोपण / आंशिकरोपण आदि से वृक्षारोपण होने वाले वायुमंडलीय प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्याप्त मात्रा प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम जैसे उचित छिड़काव करना अन्य पर्याप्त कार्यक्रम की जाए। पेड़ वृक्षारोपण द्वारा में वनस्पतियों वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. यह भी परियोजना प्रबंधकों अथवा द्वारा पर्याप्त मात्रा में ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि पेड़ वाहन से कचरा नहीं गिरे। वाहनों का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. वृक्षारोपण क्षेत्र में खाद प्रयोग न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

15. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 300 पौधे प्रति हेक्टेयर जीव क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बेल, पीपल, नीम, करंज, शीशु, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,200 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा इसके अतिरिक्त 700 नग पौधे पहुँच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (तार कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

16. राष्ट्रीय स्वच्छ पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए –

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25	2%	0.50	Following activities at Nearby Government Primary School **Village- Chichpol**	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Potable Drinking water Facility	0.15
			Plantation	0.20
			Total	**0.75**

17 सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) की आवंटित विभिन्न लागत एवं कार्य विवरण एक माह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध किया जाए। सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

18 परियोजना प्रबन्धक संबंधित क्षेत्र / क्षेत्र कार्यालय के विभागों, कर्मचारी एवं अन्य सम्बन्धों से सी.ई.आर. कार्यक्रम लागू करने की पूर्ण जवाबदेही तथा अनुपालना करेगा। परियोजना प्रबन्धक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र / राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / राजस्थान पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देश / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

19 राजस्थान नीम पर्यावरण नियम 2016 राज्य सरकार द्वारा पेड़ काटने हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2020 के प्रावधानों / शर्तों एवं नियमानुसार जारी किए निर्देश, अनुमोदित वृक्षारोपण योजना एवं पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

20 कार्य स्थल पर यदि कोई विशिष्ट कार्य पर आपत्ति आती है तो ऐसे मामलों में आवश्यक उचित व्यवस्था परियोजना प्रबन्धक द्वारा की जाएगी। आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित अधिकारियों से मदद ले सकते हैं, जिससे परियोजना पूरी होने में पर्याप्त सहायता प्राप्त कर सकें।

21 श्रमिकों के लिए कार्य स्थल पर आवश्यक चिकित्सकीय सुविधा, पीने का पानी, टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रबन्धक द्वारा की जाए।

22 श्रमिकों का समय-समय पर आवश्यकतानुसार मेडिकल परीक्षण कराया जाये।

23 जलाशय की लम्बाई, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित जलाशय योजना में अनुरूप परिवर्तन किसी भी प्रकार का परिवर्तन एन.ई.आई.ए.ए. राजस्थान / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

24 इस पर्यावरणीय स्वीकृति को प्राप्त करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार जताने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी

निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा पर्यावरण अधिनियम के अधिकरण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विनियमों के उल्लंघन हेतु अधिरुत होगा है।

२६ एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से परियोजना की आवश्यकता न परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषजनक रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी कार्य में कटौती / निरस्त करने अथवा नई शर्तें जोड़ने अथवा प्रचालन / निर्माण के मापदंडों का और संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

२७ परियोजना प्रस्तावक सुनिश्चित करें कि पर्यावरण संरक्षण कानून के, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास लागू होता हो, प्रावधानों का पालन किया जाए। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेंगे कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है तथा पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ जिलाधीश, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के अवलोकन हेतु उपलब्ध हैं। साथ ही इसका आधिकारिक भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एम.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.smeacg.org पर भी देखा जा सकता है।

२८ पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई अवहेलना को आर्थिक रिकवरी प्रमाणपत्र, पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर, एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर तथा क्षेत्रीय जिला कार्यालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में अंकित शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।

२९ एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारियों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

३० परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। वे शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इसके तहत बनाये गये नियम, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (संशोधन तथा शिथिलता) नियम, 2006 (जैसा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (जैसा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

३१ पर्यावरणीय परियोजना के बारे में एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाए ताकि एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ द्वारा उस विषय में शर्तों की अनुपालना अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने अथवा विशेष शर्तें हटाने / संशोधन में कोई भी विचलन अथवा उल्लंघन एम.ई.आई.ए.ए.

पर्यावरणविभाग / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

३. पर्यावरणीय पर्यावरण प्रबंधन मानकों पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-स्तरीय एवं संबंधित केन्द्र एवं कलेक्टर/जनसुनवाई अधिकारी को 30 दिवस की अवधि के लिए उपलब्ध करेगा।

४. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

राजस्व सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मैसर्स श्री अंबाजकाता एन–1 कोरेंगी, लिमिटेड पाईन की खसरा क्रमांक 602, कुल क्षेत्र क्षेत्र 5 हेक्टेयर में से 4.99 हेक्टेयर, ग्राम–कोरेंगी, तहसील–चारामा, जिला–कांकेर (छ.ग.) में महानदी से रेत उत्खनन हेतु 74,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।

2. **बाढ़ अध्ययन (हिस्टोरिकल फ्लड) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक ने उत्खनन क्षेत्र में वाणिज्यी 1.5 वर्ष में विस्तृत बाढ़ अध्ययन (Situation Study) करवाना, साथ ही रेत की पुनःभरण (Replenishment) क्षमता सही आंकने, रेत उत्खनन का नदी गतिशील, स्थानीय जलगति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के तटों की सुरक्षा पर रेत उत्खनन का प्रभाव भी सही आंकलनी प्राप्त की जाएगी। उक्त बाढ़ अध्ययन (हिस्टोरिकल फ्लड) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

3. यदि उत्खनन खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्षेत्रफल में है, अन्यथा 500 मीटर से भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

4. उत्खनन क्षेत्र 4.99 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा; इसी प्रकार खदान से कम का अधिकतम उत्खनन 74,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा; फिर महानदी क्षेत्र एवं अवशेष महानदी क्षेत्र का शीर्ष पर खनिज विभाग से सत्यापन कराने के उपरान्त ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के पूर्व खनन क्षेत्र के बायें / नदी तट (प्रारंभ ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाएगा। उत्खनन सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 मुख्य 25 मीटर के अन्तराल (Grid) में किया जाएगा। रेत खनन के उपरान्त मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह / जून) में महानदी क्षेत्र तथा खनन क्षेत्र के अप्रवाहीय एवं प्रवाहोन्मुख में 100 मीटर तक तथा खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित किए बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इसी चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का सर्वे अगामी 3 वर्ष तक नियमित किया जाएगा। प्रीपोस्ट–मानसून की आकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आकड़े अप्रैल 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एन.ई.आई.ए.ए. मंत्रालय को प्रस्तुत किए जायेंगे।

6. रेत की खुदाई मशिनों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उत्खनन संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में जाने वाली गाड़ियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। खनन क्षेत्र में जिला रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) में लगभग चार फीट तक रेत का परिवहन ट्रेक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

7. पेड़ का उत्खनन केवल निर्धारित, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। पेड़ उत्खनन की अधिकतम गहराई 1.5 मीटर अथवा वांछित जड़ ब्लॉक की कटाई सतह दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। पेड़ का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जड़ ब्लॉक के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर गोलाई तक पेड़ के तने नहीं काटे (हार्ड लिंक से ऊपर छोड़ना अनिवार्य है।

8. पेड़ उत्खनन नहीं करने से कम से कम 1.5 मीटर अथवा नहीं की गोलाई के 30 प्रतिशत की दूरी तक के जोखिम को प्रतिबंधित ही किया जाएगा, ताकि पेड़ गिरने का कारण न हो। इसलिए उत्खनन नहीं की सीमा से न्यूनतम 30 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी पुलिया, कलवर्ट, ओवर ब्रिज/अंडर पास, जल प्रवाह व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 200 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र रखना अनिवार्य है।

9. यह सुनिश्चित किया जाए कि इस उत्खनन की वजह नदी जल का रंग, दुर्गंधित एवं जल प्रवाह में रुकावट का कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल पेड़ी क्षेत्र में किया जाए जिससे तट निर्माण, आर–पार के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु आवागमन हेतु निर्माण न हो, बापूघाट में उत्खनन इकाईयों / क्रेशरों का संचालन आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास पेड़ उत्खनन नहीं किया जाए।

11. पेड़ उत्खनन एक गतिविधि / अधिकतम दिन के समय ही किया जाए। यह रात्रि में समय नहीं किया जाए।

12. परियोजना प्रबंधक द्वारा पेड़ उत्खनन विभिन्न प्रणाली यथा जाफिम / आयर्लैंडिक आदि से उत्पन्न होने वाले धूलमिश्रित कचरे उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। पेड़ उत्खनन क्षेत्र में पर्यावरणीय वायु की गुणवत्ता मापने सम्बन्धी, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. पेड़ का परिवहन उपयुक्त आवरण अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि पेड़ वाहन से बाहर नहीं गिरे। क्षमता का परिवहन उस रोड़ वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं भरा जाए सुनिश्चित किया जाए।

14. उत्खनन क्षेत्र से आगे प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

15. **प्राथमिकता के आधार पर क्षतिपूरक प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में नदीघाट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 300 नग प्रति हेक्टेयर जीव क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, शीशू, आम, इमली, सीसम आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 2,500 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा इसके अतिरिक्त 1,000 नग पौधे पहुँच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (बाड़ कांटेदार तार की बाड़ का प्रावधान) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

16. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/04/2016 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रावधान पर कार्य किया जाए–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
52.50	2%	1.05	Following activities at Nearby Government Adim Jati Kalyan Vibhag Middle School **Village-Badeli**	
			Rain Water Harvesting System	0.54
			Running water facility for Toilets	0.20
			Plantation	0.30
			Total	**1.14**

17. उक्त निर्देशों के अलावा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) की नियमित प्रबंधन द्वारा स्वयं से प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 02 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

18. परियोजना प्रबंधन कार्यालय केन्द्र / राज्य शासन के विभाग अथवा एवं अन्य संस्थाओं से या संचालन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रबंधन द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र / राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

19. छत्तीसगढ़ मीनर मिनिरल नियम, 2015, खान मंत्रालय द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों / शर्तों एवं अनुपालन जारी नियम निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

20. कार्य स्थल पर यदि केन्द्रित अधिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास रहित व्यवस्था परियोजना प्रबंधक द्वारा की जाएगी। आवश्यक व्यवस्था आवासीय कार्यालयों के रूप में भी सकती है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात नष्ट कर सकें।

21. श्रमिकों के लिए शौचालय स्नान एवं स्वच्छ पेयजल निर्माणस्थल सुविधा, सोनापुर तालाबंद आदि की व्यवस्था परियोजना प्रबंधन द्वारा की जाए।

22. श्रमिकों का समय-समय पर आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए।

23. उत्खनन की स्वीकृति, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

24. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को प्राप्त करने का प्रयास किसी तथ्यात्मक प्रकार अथवा तथ्यों पर अधिकार प्रकाशन का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी

निजी सम्पत्ति का मुआवजा नहीं अपितु अधिनियम अधिकारी के अधिकृत उपयोग केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / नियमों की उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

25 एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति में परिवर्तन अथवा रिमोडिफिकेट शर्तों का सीमेण्ट प्लान के पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में परिवर्तन / विचलन करने अथवा नई शर्त लगाने अथवा स्वीकृति / निरस्त करने के मामलों की ओर संकेत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

26 परियोजना प्रस्तावक महोदय द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास प्रकाशित होते हैं प्रस्तावित की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेंगे कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ संबंधित छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से अवलोकन हेतु उपलब्ध हैं। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

27 पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की समीक्षा भी की जायेगी।

28 एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्व सूचना प्रदान किया जाए।

29 परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1974 तथा (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1981, वायु (संरक्षण) अधिनियम 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 (समय समय पर संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (तथा संशोधित) के अधीन डिमेंडिंग की जा सकती है।

30 प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के प्रस्तुत निवेदन में कोई भी विपरीत अथवा परिवर्तित होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पूर्व सूचना अवश्यकारी सहित सूचित किया जाए ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की अनुपालना अथवा संशोधन संबंधी निर्देश जारी कर सके। पालन में कोई भी विचलन अथवा उल्लंघन एस.ई.आई.ए.ए.

[illegible] / [illegible] सरकार, [illegible], [illegible] और [illegible] परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

31. [illegible] पर्यावरण मंत्रालय सम्बन्ध पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–सागर एवं वर्षांक केन्द्र एवं कलेक्टर/ [illegible] कार्यालय के 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

32. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR M/S INSPIRE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED, AT KHASRA NO. 735/35/1 TO 735/1, 753/1, 754/(1) TO 754, 755, 756/1, 756/2, 756/3, 756/4, 757/3, 757/4, 758/1, 759/1, 759/4, 759/7, 766/1, 782/(2) TO 782 & 787 VILLAGE - SAKARRA, TEHSIL - YAKHATPUR, DISTRICT – BILASPUR (C.G.) FOR COAL WASHERY (WET TYPE) 0.99 MILLION TONNE PER YEAR

I. Statutorycompliance

i. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board.

ii. As per the proposal submitted by the project proponent, only rain water collected in proposed reservoirs within and outside the plant premises shall be utilized for industrial activities. As per Central Ground Water Authority notification, the proposed site falls under semi-critical zone, therefore, no ground water shall be withdrawn/used for industrial activities without prior permission from the Central Ground Water Authority. Project proponent shall obtain permission from the Central Ground Water Authority for drawal of ground water for industrial & domestic purpose. Industry shall obtain permission from Water Resources Department, Government of Chhattisgarh for collection and use of water collected in reservoir proposed to be constructed outside the plant premises before consent to operate and submit the copy to SEIAA C.G.

iii. Solid waste / hazardous waste generated in the washery needs to addressed in accordance to the Solid Waste Management Rules, 2016, Hazardous & Other Waste Management Rules, 2016.

iv. Coal beneficiation processes shall be carried out under strict adherence to provisions of the Factories Act, 1957 and subordinate legislations made there under.

II. Air quality monitoring and preservation

i. Adequate ambient air quality monitoring stations shall be established in the core zone as well as in the buffer zone for monitoring of pollutants, namely particulates (PM_{10} & $PM_{2.5}$), SO_2 and NO_x. Location of the stations shall be decided based on the meteorological data, topographical features and environmentally and ecologically sensitive receptors in consultation with the CECB. Monitoring of heavy metals such as Hg, As, Ni, Cd, Cr, etc. carried out at least once in six months.

ii. Continuous ambient air quality monitoring stations as prescribed in the status be established in the core zone as well as in the buffer zone for monitoring of pollutants, namely PM_{10}, $PM_{2.5}$, SO_2 and NO_x. Location of the stations shall be decided based on the meteorological data, topographical features and environmentally and ecologically sensitive targets in consultation with the Chhattisgarh Environment Conservation

Board. Online ambient air quality monitoring stations may also be installed in addition to the regular monitoring stations as per the requirement and/or consultation with the Chhattisgarh Environment Conservation Board. Monitoring of heavy metals such as Hg, As, Ni, Cd, Cr, etc to be carried out at least once in six months.

iii. Project proponent shall ensure transportation of raw coal, washed coal and reject through railway as far as possible. Transportation of coal by road shall be carried out by covered trucks. The transportation of clean coal and rejects shall be carried out by rail with wagon loading through silo as far as possible. Industry shall ensure transportation of clean coal and reject (at least 60%) by rail. Effective measures such as regular water sprinkling shall be carried out in critical areas prone to air pollution and having high levels of particulates such as roads, belt conveyors, loading / unloading and transfer points. Fugitive dust emissions from all sources shall be controlled at source. It shall be ensured that the ambient air quality parameters conform to the norms prescribed by the Central Pollution Control Board/ Chhattisgarh Environment Conservation Board. The particulate emission from any point source shall not exceed 50 mg / Nm^3 under any circumstances. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

iv. All approach roads shall be black topped and internal roads shall be concreted. The roads shall be regularly cleaned. Coal transportation shall be carried out by covered trucks. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed circuit cameras (CCTV) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are properly covered.

v. Covered trucks shall be engaged for mineral transportation outside the washery upto the railway siding, shall be optimally loaded to avoid spillage en-route. Trucks shall be adequately maintained and emissions shall be below notified limits.

vi. Project proponent shall construct boundary wall of height not less than 03 meters all along the periphery of plant premises. Wind breaking screen of height not less than 03 meters along with rain gun shall be constructed over the boundary wall to prevent the fugitive dust emission in the nearby areas.

vii. Facilities for parking of trucks carrying raw material from linked mine shall be created within the unit.

viii. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. The vehicles having PUC certificate from authorised pollution testing centres shall be deployed for washery operations.

ix. Hoppers of the coal crushing unit and other washery units shall be fitted with high efficiency bag filters / mist spray water sprinkling system shall be installed and operated effectively at all times of operation to check fugitive emissions from crushing operations, transfer points of closed belt conveyor systems and from transportation roads.

x. The Raw coal / washed coal / rejects / coal sludge shall be stored above ground level in pucca platform within stockyards fitted with wind breakers /

shields. Adequate measures shall be taken to ensure that the stored mineral does not catch fire.

ii. The temporary reject sites should appropriate planned and designed to avoid air and water pollution from such sites.

III. Water quality monitoring

i. The project proponent shal provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Sewage Treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. The effluent discharge shal be monitored in terms of the parameters notified under the Water Act, 1974 Coal Industry Standards vide GSR 742 (E) dated 25.9.2000 and as amended from time to time by the Central Pollution Control Board. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to Zero Liquid Discharge.

ii. The monitoring data shall be uploaded on the company's website and displayed at the project site at a suitable location. The circular No. J-20012/1/2006-IA.11 (M) dated 27.05.2009 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall also be referred in this regard for compliance.

iii. Industrial waste water shall be properly collected and treated so as to conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Act, 1986 and the Rules made there under, and as amended from time to time.

iv. The project proponent shall not alter major water channels around the site. Appropriate embankment shall be provided along the side of the river/nallah flowing near or adjacent to the washery. The embankment constructed along the river/nallah boundary shall be of suitable dimensions and critical patches shall be strengthened by stone pitching on the river front side stabilised with plantation so as to withstand the peak water pressure preventing any chance of inundation.

v. Heavy metal content in raw coal and washed coal shall be analysed once in a year and records maintained thereof.

vi. The rejects should be utilized in FBC power plant or disposed off through sale for its gainful utilization.

vii. The waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.

viii. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

ix. An Integrated Surface Water Management Plan for the washery area up to its buffer zone considering the presence of any river/nallah/pond/lake

etc. with impact of coal washing activities on it, shall be prepared, submitted to MoEF&CC and implemented.

x. Waste Water shall be effectively treated and recycled completely either for washery operations or maintenance of green belt around the plant.

xi. Rainwater harvesting in the washery premises shall be implemented for conservation and augmentation of ground water resources in consultation with Central Ground Water Board.

xii. No ground water shall be used for coal washing unless otherwise permitted in writing by competent authority (CGWA) or MoEF&CC. The make-up water requirement of washery should not exceed 1.5 m^3/tonne of raw coal.

xiii. Regular monitoring of ground water level and quality shall be carried out in and around the mine lease area by establishing a network of existing wells and constructing new piezometers during the mining operations. The monitoring of ground water levels shall be carried out four times a year i.e. pre-monsoon, monsoon, post-monsoon and winter. The ground water quality shall be monitored once a year, and the data thus collected shall be sent regularly to MOEFCC/RO.

xiv. Monitoring of water quality upstream and downstream of water bodies shall be carried out once in six months and record of monitoring data shall be maintained and submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change/Regional Office.

xv. The project proponent shall take all precautionary measures to ensure riverine/ riparian ecosystem in and around the coal mine up to a distance of 5 km. A riverine/riparian ecosystem conservation and management plan should be prepared and implemented in consultation with the Irrigation / Water Resource Department, Chhattisgarh.

IV. Noise and Vibration monitoring and prevention

i. The noise level survey shall be carried out as per the prescribed guidelines to assess noise exposure of the workmen at vulnerable points in the mine premises, and report in this regard shall be submitted to the Ministry/RO on six-monthly basis.

ii. Adequate measures shall be taken for control of noise levels as per noise pollution Rules, 2016 in the work environment. Workers engaged in blasting and drilling operations, operation of HEMM, etc. shall be provided with personal protective equipments (PPE) like ear plugs/muffs in conformity with the prescribed norms and guidelines in this regard. Adequate awareness programme for users to be conducted. Progress in usage of such accessories to be monitored.

V. Coal beneficiation

i. Coal stocking plan shall be prepared separately for raw coal, clean coal, middling and rejects.

ii. Efforts should be made to reduce energy consumption by conservation, efficiency improvements and use of renewable energy.

VI. Green Belt

i. Minimum 8.84 acres (44.33% of total land area) should be covered under green belt area. Three tier greenbelt comprising of a mix of native species, of minimum 20 m width shall be developed all along the washery area to check fugitive dust emissions and to render aesthetic to neighbouring stakeholders. A 3-tier green belt comprising of a mix of native species or tree species with thick leaves shall be developed along vacant areas, storage yards, loading/transfer points and also along internal roads/main approach roads.

ii. The project proponent shall make necessary alternative arrangements, if grazing land is involved in core zone, in consultation with the State government to provide alternate areas for livestock grazing, if any. In this context, the project proponent shall implement the directions of Hon'ble Supreme Court with regard to acquiring grazing land.

VII. Public hearing and Human health issues.

i. Adequate illumination shall be ensured in all mine locations (as per DGMS standards) and monitored weekly. The report on the same shall be submitted to Ministry of Environment, Forest and Climate Change/Regional Office on six monthly basis.

ii. The project proponent shall undertake occupational health survey for initial and periodical medical examination of the personnel engaged in the project and maintain records accordingly as per the provisions of the Mines Rules, 1955 and DGMS circulars. Besides regular periodic health check-up, 20% of the personnel identified from workforce engaged in active mining operations shall be subjected to health check-up for occupational diseases and hearing impairment, if any, as amended time to time.

iii. Personnel (including outsourced employees) working in core zone shall wear protective respiratory devices and shall also be provided with adequate training and information on safety and health aspects.

iv. Implementation of the action plan on the issues raised during the public hearing shall be ensured. The project proponent shall undertake all the tasks/measures as per the action plan submitted with budgetary provisions during the public hearing. Land oustees shall be compensated as per the norms laid down in the R&R policy of the company/State Government/Central Government, as applicable.

v. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in Ministry of Environment, Forest and Climate Change OM No.Z-11013/57/2014-IA.II (M) dated 29th October, 2014, titled 'Impact of mining activities on habitations-issues related to the mining projects wherein habitations and villages are the part of mine lease areas or habitations and villages are surrounded by the mine lease area'.

VIII. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall comply with the provisions contained in Ministry of Environment, Forest and Climate Change OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility. Project proponent shall made CER fund as follows -

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
2,200	2%	44	Following activities at Nearby Government Schools and Hospitals **Village-Ansena, Sakarra and Balmundi** Rain Water Harvesting System Potable Drinking water Facility Running water facility for Toilets Solar Lighting System Plantation	44
			Total	**44**

ii. The Project proponent shall complete the Corporate Environmental Responsibility activity within 06 Months.

iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / or shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six monthly report.

iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.

v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of

implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

iii. Said environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

IX. Miscellaneous

i. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended)

ii. Land requirement shall be 19.49 acres with green belt area minimum 8.64 acres (44.33% of total land area). Project proponent shall ensure no any hindrance to any villagers / farmers to access their field due to establishment / operation of coal washery

iii. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.

iv. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

v. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

vi. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

vii. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

viii. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

ix. Project proponent shall constitute a monitoring committee comprising of representatives of all stake holders i.e. Gram Panchayat, villagers, school teachers / management, workers, transporters and factory management etc. This committee shall monitor the conditions stipulated in the environmental clearance, environmental protection measures adopted, socio-economic development activities / community development programmes undertaken etc. The committee shall monitor the above matters at least once in a month during which, factual situation regarding above matters will be discussed. The proceedings of the committee shall be recorded in writing along with suggestions (if any). Project management shall take immediate action on the basis of observations /

suggestions of the committee. A copy of the proceedings of the committee shall be submitted to Regional Officer, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bilaspur for information.

x. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

xi. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

xii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xiii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xiv. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xv. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xvi. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xvii. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xviii. The Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xix. The above conditions shall be enforced inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xx. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

मेसर्स श्री गणेशराम साहू, जरवाय सैण्ड माईन्स
को खसरा क्रमांक 131, कुल क्षेत्र 5 हेक्टेयर, ग्राम–जरवाय, तहसील व जिला–कांकेर (छ.ग.) में महानदी से रेत उत्खनन क्षमता 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति उक्त दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।

2. **गहन अध्ययन (सिन्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गहन अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) संबंधी सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी पारिस्थितिकी, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं वृक्ष जीवों पर प्रभाव तथा नदी की पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही प्रस्तावली प्राप्त हो सके। उक्त गहन अध्ययन (सिन्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

3. नदी खदान पर्यावरण विभाग द्वारा अधिसूचित जिला कलक्टर से 0.5 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के लीज स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

4. उत्खनन क्षेत्र 5 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार उत्खनन की रेत का अधिकतम उत्खनन 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के पूर्व उत्खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी धारा के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी खंडों के स्तर (Levels) का सर्वे 25 मुख्य 25 मीटर के अन्तराल (Grid) में किया जायेगा। रेत खनन के उपरान्त मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह / जून) में समुचित क्षेत्र क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अवस्थित एवं आसपासपुंज से 100 मीटर तक स्थित उत्खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी स्तरों के स्तरों (Levels) का भी पूर्व निर्धारित बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार मानसून–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारम्भ करने के पूर्व माह अप्रैलवार) इसी दिन बिन्दुओं पर रेत क्षेत्र के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत मात्रा के पूर्व निर्धारित बिन्दु बिन्दुओं पर रेत मात्रा के लेवल्स Levels के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। मानसून–मानसून के आंकड़े वित्तीय 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े वर्ष 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एन.ई.आई.टी.टी., कांकेर को प्रस्तुत किए जायेंगे।

6. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए किसी उपकरण यंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। किसी भी नदी धाराओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढा (Excavation pits) से संचित पानी तथा रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जायेगा।

7. रेत का उत्खनन केवल दिनांक, सीमांकित एवं प्रतिबंधित क्षेत्र में ही किया जायेगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1.5 मीटर अथवा अधिकतम जल स्तर की उपरी सतह तक, दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति

में जल भरा के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर गहराई तक की रेत नदी तल छोड़ी जाए। के ऊपर पर्याप्त जल आवश्यक है।

8 रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की गहराई के 3 अतिरिक्त की दूरी तक भी अतिक्रमण ही संरक्षण हो किया जाएगा, ताकि भूमि कटाव न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 50 मीटर दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी पुलिया, बैराजेज, बांध, पुलिया, जल प्रवाह व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 250 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

9 यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का तेल, लुब्रिकेंट एवं जल प्रवाह के संबंध पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

10 यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल नदी क्षेत्र से किया जाए जिससे तथा जिसका आस-पास की क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं व घड़ियाल हेचरीज / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के पास रात्रि रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

11 रेत उत्खनन एवं गहराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह रात्रि के समय नहीं किया जाए।

12 परियोजना प्रबंधक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न क्रशर्स तथा स्टोकिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले धूलयुक्त डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था जैसे स्प्रे सिंचाई करना अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में वनस्पतिक वायु की गुणवत्ता भारत सरकार पर्यावरण वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13 रेत का परिवहन मानकीकृत क्षमता अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कम से कम मात्रा की क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 उत्खनन क्षेत्र में खनि प्रदूषण न हो यह सुनिश्चित किया जाए।

15 **प्रासंगिकता के अनुसार पर्यावरण प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 300 पेड़ प्रति हेक्टेयर जीव क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीसम आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 2,500 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा इसके अतिरिक्त 750 नग पौधे चहुँ भाग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (गम्भ कटेजार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रबंधन वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

16 भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव का मार्ग निकट जाए:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 52.5	2%	Rs. 1.05	Following activities at Nearby Government Girls School Village-Charamo	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.66
			Running water Facility for Toilets	Rs. 0.28
			Plantation work with fencing	Rs. 0.30
			Total	Rs. 1.14

17 सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यक्रमों हेतु मद्य के अनिवार्य मद्य से पूरा किया जाए।

18 परियोजना प्रस्तावक संबंधित कार्य / राज्य शासन के विभाग/ मंत्रालयों एवं अन्य संस्थाओं से वे सम्बन्धित आदेश करने की पूर्ण आवश्यक कार्यों अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एवं अन्य प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

19 छत्तीसगढ़ रोपण संहिता नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा वृक्ष के प्रत्यारोपण हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2020 के प्रावधानों/शर्तों एवं तत्पश्चात जारी किया निर्देशों, अनुमोदित प्रत्यारोपण योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

20 कार्य प्रारंभ एवं यदि योजित अवधि कार्य पर लगाये जाने है तो ऐसे श्रमिकों के आवास सहित समस्त सुविधाओं प्रोत्साहन प्रदान की जाएगी। आवश्यक व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में की जानी है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात हटाया जा सके।

21 श्रमिकों के लिए शिक्षण केन्द्र एवं स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा, पेयजल, शौचालय आदि की आवश्यक परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

22 श्रमिकों का समय-समय पर आवश्यकतानुसार मेडिकल चेकअप कराया जाये।

23 विभाग की तकनीकी, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उपयोग योजना के अनुसार वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एम.ई.आई.ए. प्राधिकरण / राज्य सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

24. इस पर्यावरणीय स्वीकृति का जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार रखने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को भूअर्जन नहीं होने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकरण अथवा भिन्न, दाम्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के पालनोपरान्त हेतु अधिकृत करता है।

25. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की फायदेमंद से पर्यावरण अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों का सन्तोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन / विलोप करने अथवा नई शर्त अधिरोपित अथवा पर्यावरण / निवारण के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

26. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 3 स्थानीय समाचार पत्रों में उस दिन परियोजना क्षेत्र के आस-पास आयोजन स्थल से प्रकाशित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सम्बन्धित स्थानीय प्रभावित संस्थान मण्डल के कार्यालय तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी दिखा जा सकता है।

27. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिक / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन की समय से की जाने वाली मानिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

29. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं अन्य सक्षम द्वारा दी गई शर्तों का अधिकार कर से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1974 तथा (प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, पर्यावरण (प्रभाव आकलन एवं सीमाकरण संरक्षण) नियम, 2006 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

30. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ ने प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन आवेदन सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़

इस का विचार कर शर्तों की तथ्यपूर्णतः आकलन नहीं कर निर्देश करने बाबत निर्णय ले सके। खदान से संबंधी सी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

31 छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर, रायपुर एवं उदयोग केन्द्र एवं कलेक्टर/ उपायुक्त कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

32 पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील पेटेन्ट वीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

कार्यपालन अभियंता, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.